



सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2012-2013

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
2.	योजना विभाग-स्टाफ स्थिति	1
3.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.1.	राज्य योजना बोर्ड	2-3
3.2.	मुख्यालय	3-4
	(I) प्रशासन प्रभाग	4
	(II) योजना प्रारूपण प्रभाग	5-6
	(III) योजना कार्यान्वयन	6-8
	(IV) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	8-10
	(V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	10-12
	(VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग	12-13
	(VII) बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग	13-18
	(VIII) नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	18-22
	(IX) 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग	22-26
	(X) रेलवे प्रभाग	27-29
	(XI) मूल्यांकन प्रभाग	29-31
	(XII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	31-32
	(XIII) कम्प्यूटर प्रभाग	33
3.3.	जिला कार्यालय	34
4.	सूचना का अधिकार नियम 2005	35-40

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबार्ड से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है।

2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	पै-बैंड (रु०में)	ग्रेड- पे (रु० में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	-	1	*	*
2.	उपाध्यक्ष, 20-सूत्रीय कार्यक्रम	1	1	-	*	*
3.	सलाहकार (योजना)	1	1	-	37400 – 67000	8800
4.	संयुक्त निदेशक	1	1	-	15600 – 39100	7600
5.	उप-निदेशक	6	5	1	15600 – 39100	6600
6.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	20	14	6	10300 - 34800	5400
7.	साख योजना अधिकारी	10	10	-	10300 – 34800	5000
8.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	17	-	10300 – 34800	4200
9.	सांख्यिकीय सहायक	20	15	5	10300 – 34800	3800
10.	गणक	6	5	1	5910 – 20200	1900
11.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	1	1	-	10300 – 34800	4200
12.	गणक संचालक	2	2	-	10300 – 34800	3600
13.	निजि सचिव	1	-	1	10300 – 34800	5000
14.	निजि सहायक	2	1	1	10300 – 34800	4200
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	-	10300 – 34800	3800
16.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	-	5910 – 20200	2800
17.	आशुटंकक	12	2	10	5910 – 20200	2000
18.	अधीक्षक श्रेणी-I	1	-	1	10300-34800	5000
18.	अधीक्षक श्रेणी-II	1	-	1	10300 – 34800	4800
19.	वरिष्ठ सहायक	20	20	-	10300 – 34800	4400
20.	कनिष्ठ सहायक	3	3	-	10300 – 34800	3600
21.	लिपिक	13	12	1	10300 – 34800	3200
22.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	-	4900 – 10680	1900
23.	चालक	3	2	1	5910 – 20200	2400
24.	चपड़ासी	20	20	-	4900 – 10680	1650
25.	चौकीदार	1	1	-	4900 – 10680	1650
26.	फ्राश	1	1	-	4900 – 10680	1650
27.	जमादार	1	1	-	4900 – 10680	1800
28.	सफाई कर्मचारी	1	1	-	4900 – 10680	1650
	कुल	174	144	30		

* : राज्य योजना बोर्ड तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है।

3. संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण निम्न है:-

1. राज्य योजना बोर्ड ।
2. मुख्यालय
3. जिला कार्यालय ।

3.1. राज्य योजना बोर्ड:

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 26 अगस्त, 2009 को किया गया ।

I. राज्य योजना बोर्ड की संरचना:

(i) अध्यक्ष-माननीय मुख्यमन्त्री

(ii) गैर-सरकारी सदस्य

1. समस्त कैबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) - अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि - अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक - अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी - अलग से अधिसूचित ।

(iii) सरकारी सदस्य

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

(iv) पदेन सदस्य (Ex Officio)

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(v) सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)

II. नियुक्ति की शर्तें: सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।

III. योजना बोर्ड मुख्यालय: योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं ।

IV. योजना बोर्ड के कार्य:

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव ।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विश्लेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2013-14 के लिए मु0 4100.00 करोड़ रु0 के आकार को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया है । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा इस प्रस्तावित आकार को अनुमोदित किया गया है ।

मुख्यालय:

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :-

1.	सम्बन्धित मंत्री	मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2.	प्रशासनिक सचिव	प्रधान सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्प्यूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, रेलवे, 20-सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

I. प्रशासन प्रभाग:

संयुक्त निदेशक का पद दिनांक 31 अगस्त, 2012 को पदोन्नति से भरा गया है । संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया है । प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है । इस प्रभाग में निम्न स्टाफ कार्यरत हैं:-

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी	1
2. अधीक्षक श्रेणी-I	1 (रिक्त)
3. अधीक्षक श्रेणी-II	1 (रिक्त)
4. वरिष्ठ सहायक	4
5. कनिष्ठ सहायक	3
6. लिपिक	2
7. सन्देशवाहक	1
8. चौकीदार	1
9. फ्राश	1
10. सफाई कर्मचारी	1

कुल :-

16 2 (रिक्त)

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है । प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं । वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं ।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग:

योजना प्रारूपण प्रभाग द्वारा वर्ष 2012-2013 के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. राज्य की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) व वार्षिक योजना (2013-14) का प्रारूपीकरण :

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) व वार्षिक योजना (2013-2014) के प्रारूपीकरण हेतु प्रधान सचिव (योजना) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ योजना प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु अक्टूबर माह (2012) में श्रृंखलावार बैठकों का आयोजन किया गया ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) व वार्षिक योजना (2013-2014) के प्रारूपीकरण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों /एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) व वार्षिक योजना (2013-2014) का ड्रॉफ्ट प्रारूप तैयार करके अधिकारी स्तर पर क्षेत्रवार विचार विमर्श एवं योजना आयोग को उपाध्यक्ष , योजना आयोग एवं माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के स्तर पर होने वाली बैठक के लिए प्रस्तुत किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का आकार 22,800 करोड़ व वार्षिक योजना (2013-2014) का आकार 4100 करोड़ ₹ प्रस्तावित किया गया है । जिसका सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

(₹ करोड़ों में)			
क्रम संख्या	सैक्टर	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का प्रस्तावित परिव्यय	वार्षिक योजना (2013-14) का प्रस्तावित परिव्यय
1.	2.	3.	4.
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	2906.79	530.84
2.	ग्रामीण विकास	1276.73	169.71
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	155.75	26.01
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	1972.37	301.14
5.	ऊर्जा	2805.59	624.68
6.	उद्योग एवं खनन	224.42	48.81
7.	संचार एवं परिवहन	4709.88	865.14
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	104.92	15.72
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.59	98.22
10.	सामाजिक सेवाएं	7674.22	1371.40
11.	सामान्य सेवाएं	372.74	48.33
	कुल	22800.00	4100.00

तत्पश्चात मांग/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप-लघु शीर्षवार परिव्यय तैयार करके वर्ष (2013-14) के योजना परिव्ययों को वित्त विभाग को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया।

2. विविध:

योजना आयोग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के ड्रॉफ्ट दस्तावेज के अनुमोदन हेतु दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को हुई 57वीं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के लिए माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश का भाषण तैयार किया गया।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग:

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त योजना बजट की कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्न प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई :-

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आवश्यकता तथा योजना में प्राथमिकता को समक्ष रखते हुए विचलन या पुनर्विनियोजन करता है।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिस में व्यय की सम्भावनाएं कम हों या कोई परियोजना जिसे चालू वर्ष में चलने की सम्भावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है।
3. आधिक्य के प्रस्तावों के संदर्भ में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई तथा तत्काल ऐसे प्रकरण निपटाए गए।
4. विभागों से चिन्हांकित/गैर चिन्हांकित विकास शीर्षों में फेरबदल के प्रस्ताव मंगवाए गए और संशोधित योजना परिव्यय की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त की गई। योजना आयोग, भारत सरकार ने वार्षिक योजना 2012-13 के योजना आकार 3700.00 करोड़ रु० को अनुमोदित किया है।
5. इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से 299 संदर्भ परामर्श हेतु प्राप्त हुए जिसके परीक्षणोपरान्त उचित अभिमत विभागों को प्रदान किए गए।
6. बजट के अनुरूप योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण योजना को बजट के साथ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा गया।

1. त्रैमासिक आधार पर योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा:

इस प्रभाग को वार्षिक योजना के विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत योजना व अन्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया है। योजना व्यय/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बद्ध स्कीमों के व्यय के लिए निम्न मापदण्डों को निर्धारित किया गया है :-

(क) योजना व्यय:-

क्रम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतता
1	प्रथम तिमाही	20
2	द्वितीय तिमाही	25
3	तृतीय तिमाही	30
4	चतुर्थ तिमाही	25
कुल :		100

(ख) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बद्ध स्कीमें:-

क्रम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतता
1	प्रथम तिमाही	30
2	द्वितीय तिमाही	35
3	तृतीय तिमाही	35
4	चतुर्थ तिमाही	-
कुल :		100

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय से राज्य की वार्षिक योजना (2012-13) की केन्द्रीय सहायता धनराशि की निर्मुक्ति शीघ्र करवाने के लिए संशोधित योजना परिव्यय वित्त पोषण स्कीम सहित, 31 दिसम्बर, 2012 तक योजना व्यय और वार्षिक योजना 2011-12 के अन्तिम पुष्ट व्यय आंकड़े वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग, भारत सरकार को भेजे गए ।

वर्ष 2012-13 में समस्त कार्यान्वयन विभागों के साथ योजना समीक्षा बैठकों का निम्नानुसार आयोजन किया गया:-

1. दिनांक 2 अगस्त, 2012 को मुख्य सचिव हि0 प्र0 सरकार की अध्यक्षता में 30 जून, 2012 को समाप्त प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक ।
2. दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 को मुख्य सचिव हि0 प्र0 सरकार की अध्यक्षता में 30 सितम्बर, 2012 को समाप्त द्वितीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक ।
3. दिनांक 20 फरवरी, 2013 को मुख्य सचिव हि0 प्र0 सरकार की अध्यक्षता में 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त तृतीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक ।

2. त्रैमासिक बजट आबंटन :

सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वर्ष 1999-2000 से नई बजट आबंटन प्रणाली को आरम्भ किया गया है । वर्ष 2012-13 में इस प्रणाली के तहत सभी विभागों को तिमाहीवार प्राधिकृत योजना बजट भेजा गया तथा इसके आधार पर व्यय सूचना एकत्रित की गई ।

3. बजट आश्वासन :

बजट भाषण के अनुरूप बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2012-13 के बजट आश्वासनों की सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की गई तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्त विभागों को बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए।

4. भारत सरकार में लंबित मामले

इस संकलन में प्रदेश सरकार के भारत सरकार में लंबित मामलों को पत्राचार सहित शामिल किया जाता है। वर्ष 2012-13 में इस दस्तावेज का संकलन कर माननीय सांसदों एवं भारत सरकार में हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारियों को भिजवाया गया है।

5. केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं :

राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में शत-प्रतिशत एवं कुछ केंद्रीय एवं राज्य भाग पर आधारित केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों कार्यान्वित की जा रही हैं।

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य किए गए :-

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकारी विभागों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन एवं वित्तीय पोषण हेतु परामर्श दिए गए।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभाग:

प्रदेश सरकार द्वारा विकास में विद्यमान सूक्ष्म एवं क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना की परिकल्पना को विकसित किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जोकि तब से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया :-

- (i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड :** ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायतें पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं। वर्ष 2012.13 के अन्त तक प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।
- (ii) **कंटीगुअस पंचायतें :** ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।

(iii) **बिखरी पंचायतें** : जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 114 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं ।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षों के कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत भाग पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के लिए चिह्नंकित किया जाता है ।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

(घ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात में किया जाता है ।

(ङ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है। उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

प्रदेश में कुल 551 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । उप योजना के अलग बजट प्रबन्धन के लिए नई मांग संख्या-15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) सरकार द्वारा सृजित की गई है । वर्ष 2012-13 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत ₹ 3500.00 लाख का बजट प्रावधान योजना में था। वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 3700.00 लाख का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सुधार के लिए हमेशा उदार है। उप योजना में काफी लचीलापन है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश के बदलते स्वरूप के मध्देनजर योजना विभाग द्वारा पंचायतों को पिछड़ा घोषित करने बारे मानकों में परिवर्तन करने बारे प्रयास जारी हैं ।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2012-13 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2012-13 परिव्यय/व्यय	
			योजना	अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5
1	बिलासपुर	15	95.28	95.28
2	चम्बा	159	1010.08	1010.08
3	हमीरपुर	13	82.56	82.56
4	काँगड़ा	17	107.97	107.97
5	कुल्लू	79	501.74	501.74
6	मण्डी	149	946.54	946.54
7	शिमला	83	527.23	527.23
8	सिरमौर	26	165.15	165.15
9	सोलन	7	44.46	44.46
10	ऊना	3	18.99	18.99
	योग	551	3500.00	3500.00

पिछड़ा क्षेत्र उप योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य जैसे कि बजट आवंटन, उप-योजना की समीक्षा एवं प्रोबोधन, ए.जी./ सी.ए.जी., विधान सभा, इत्यादि से सम्बन्धित कार्य वर्ष 2012-13 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभाग द्वारा निष्पादित किये गये ।

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग :

राज्य स्तर से विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का संचालन तथा मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में किए गए क्रिया- कलापों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

स्थानीय स्तर पर विकास प्रक्रिया में आधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने व सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में विकास में जन सहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है तथा नकद सामुदायिक भागीदारी को सम्बन्धित उपायुक्तों के नाम से बैंक / डाकघरों में खोले गए खातों में जमा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.00 लाख रूपए कार्य लागत तक की कार्य योजनाओं को उपायुक्तों द्वारा, 20.00 लाख रूपए तक की कार्य योजनाओं को योजना निदेशालय, 40.00 लाख रूपए से अधिक की योजनाओं को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत करने की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2012-13के दौरान 1700.00 लाख रूपए की धनराशि उपायुक्तों को उनके स्तर पर कार्य स्वीकृतियां (किन्नौर और लाहौल-स्पिति जिलों को छोड़कर) जारी करने के लिए प्रदान की गई।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास करवाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यान्वयन किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 4737.00 लाख रूपए की धनराशि समस्त उपायुक्तों (किन्नौर और लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर) को उनके स्तर पर स्वीकृतियों जारी करने के लिए उपलब्ध करवाई गई है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना:

विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ किया गया था लेकिन वर्ष 2001-02 में इस स्कीम को समाप्त

कर दिया गया था। वर्ष 2003-04 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है तथा 24.00 लाख रु० की धनराशि प्रत्येक विधायक को उनके अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने हेतु आबंटित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 से यह धनराशि 50.00 लाख रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार कर दी गई है। माननीय विधायकों द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन एवं समीक्षा अधिक प्रभावी एवं व्यापक हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी क्षेत्रों का राजनैतिक सम्बद्धता का विचार किए बिना सन्तुलित विकास हुआ है तथा सभी विधायक एक समान व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत 3260.50 लाख रु० की धनराशि गैर जनजातीय जिलों को विभागीय कार्यों के कार्यान्वयन हेतु मु० 50.00 लाख रु० प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई है। इस 50.00 लाख रु० की धनराशि में से 5.00 लाख रु० की धनराशि माननीय विधायकों की अनुशंसानुसार मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन हेतु खर्च की जाएगी।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना:

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़को से जोड़ने के अतिरिक्त गांवों के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2002-2003 में 10 गैर जनजातीय जिलों में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में 2 कि० मी० लम्बी जीप योग्य/ ट्रैक्टर योग्य सड़को का भी निर्माण किया जाता है। वर्ष 2004-05 में इस योजना को बन्द कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस योजना को पुनः आरम्भ किया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए 400.00 लाख रु० की बजट धनराशि प्रावधित की गई है तथा सम्पूर्ण धनराशि गैर जनजातीय जिलों के उपायुक्तों को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु जारी की जा चुकी है।

5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना:

वर्ष 1993-94 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना को प्रदेश में आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माननीय सांसद सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे-छोटे कार्यों क्रमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यों की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद सदस्य को वर्ष 1993-94 से 5.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी जिसे वर्ष 1994-95 में बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 1998-99 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि प्रत्येक सांसद सदस्य को प्रदान की जाती है।

6. जिला अभिनव निधि (District Innovation Fund) :-

13 वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से District Innovation Fund (DIF) स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत चार वर्षों में (2011-12 से 2014-15) 12.00 करोड़ रु० (12 जिलों को 1.

00 करोड़ रु० प्रति जिला) जारी किए जाने है। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों के लिए सरकारी व निजी अंशदान की भागीदारी 90:10 है। वर्ष 2012-13 में इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को 25.00 लाख रु० की धनराशि जारी की जा चुकी है।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग :

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

(i) जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करना :

इस पुस्तिका को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनः निरीक्षण आवश्यक है। इस तथ्य पुस्तिका में जनसंख्या, श्रम शक्ति, रोजगार, बेरोजगार तथा ऐसे प्रशिक्षण संस्थान जोकि प्रशिक्षण व रोजगार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, की विस्तृत जानकारी से सम्बन्धित सांख्यिकीय तालिकाओं की रचना दी जाती है। वर्ष 2001-2010 की जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका प्रकाशित कर दी गई है तथा वर्ष 2011 तक की सूचना का संकलन कार्य किया जा चुका है व इसका प्रकाशन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

(ii) ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट:

ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों पर तिमाहीवार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1988 से आरम्भ किया गया है। संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों के वर्ष 2010-11 की तिमाहीवार सूचना प्रकाशित कर दी गई है जबकि वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट का संकलन कार्य किया जा चुका है तथा इसका प्रकाशन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

(iii) राज्य सरकार की रोजगार योजना:

वार्षिक योजना 2013-14 में राज्य की रोजगार स्थिति पर एक अध्याय सम्मिलित किया गया जिसमें प्रदेश की रोजगार नीति, जनसंख्या व श्रमिकों की विश्लेषणात्मक स्थिति तथा प्रदेश की रोजगार योजना को दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने रोजगार अवसर सृजन करने के लिए त्रिमुखी रोजगार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत (1) सरकारी क्षेत्र में रोजगार, (2) संगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार और (3) मजदूरी घटक रोजगार सृजन को राज्य सरकार की रोजगार नीति माना गया है। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन का आंकलन करने के लिए मासिक आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित की गई। रोजगार सृजन की भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा मासिक स्तर पर नियमित रूप से की जाती है।

(iv) दक्षता उन्नयन (Skill Development):

योजना विभाग द्वारा दक्षता उन्नयन के कार्य का समन्वयन किया जाता है। वर्ष 2012 में दक्षता विस्तार परिषद (Skill Upgradation Council) का गठन किया गया व माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2013-14 में की गई घोषणा अनुसार राज्य दक्षता विकास परिषद (State Skill Development Council) का गठन करने बारे प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। दक्षता उन्नयन पर राज्य की कार्ययोजना बनाई गई तथा समस्त सम्बन्धित विभागों के प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 व वार्षिक योजना 2013-14 के दस्तावेज में सम्मिलित किए गए। माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय नई दिल्ली में दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को हुई दक्षता कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के अनुभवों के आदान प्रदान करने बारे पूर्वाभ्यास हेतु एक वृहद लेख (Comprehensive note) तैयार करके प्रधान मंत्री दक्षता उन्नयन कार्यालय, नई दिल्ली को भेजा गया। दक्षता उन्नयन कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 22 अगस्त, 2012 को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्री शिखर अग्रवाल, निजि सचिव, सलाहकार, राष्ट्रीय परिषद दक्षता उन्नयन, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार ने भी भाग लिया जिसकी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्यवाही के लिए प्रेषित की गई।

VII. बाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग:

प्रशासनिक उपयुक्तता लाने के लिए योजना विभाग के बाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग को परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है। जिसके लिए अनुशासित एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्ध के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है। यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। प्रधान सचिव, योजना, हि0प्र0 सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान किए गये कार्यों का विवरण:

1. राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की परिदृष्टि में त्रैमासिक समीक्षा करना।
2. केन्द्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की समीक्षा करना तथा व्यय के विरुद्ध दायर प्रतिपूर्ति दावों को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार से निर्मुक्त करवाने के लिए एक कड़ी का कार्य करना।

3. विभिन्न विभागों को परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के सन्दर्भ में परामर्श देना।
4. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से सम्बन्धित वर्ष 2013-14 के लिए आबंटन/परिव्यय तथा प्रतिपूर्ति लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा प्रस्ताव तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजना।

विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA), जी.आई.जैड., ए.एफ.डी. (फ्रांसीसी सरकार की एजेंसी) तथा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन एजेंसी) आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को, परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए, सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे राज्य की प्राथमिकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव बनाएँ। योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदनोपरान्त सभी परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों को इस सलाह के साथ लौटाए गये कि वे प्रस्तावों को अपने सम्बन्धित मन्त्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सम्बन्धित वित्त प्राधिकरणों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए उठाये।

हिमाचल प्रदेश व ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के मध्य द्विपक्षीय सहयोग:

हिमाचल प्रदेश सरकार एवं कनाडा के उच्चायुक्त व चण्डीगढ़ स्थित कनाडा हाई कमीशनर के प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों/विचार विमर्श की शृंखला के परिणाम स्वरूप और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद पारस्परिक आदान-प्रदान और सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बनाने व मजबूत करने के लिए 16 नवम्बर, 2011 को चण्डीगढ़ में हिमाचल प्रदेश सरकार व ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा प्रांत के मध्य 'आशय पत्र' हस्ताक्षरित किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

(₹ करोड़ों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	डोनर एजेंसी	नोडल विभाग	कुल लागत	परियोजना अवधि	
					प्रारम्भ की तारीख	समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक	लोक निर्माण विभाग	1802.84	Jul-07	Jun-16
2.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना	विश्व बैंक	वन विभाग	596.25	Oct-05	Mar-16
3.	स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना	जे० आई० सी० ए०	वन विभाग	215	Mar-06	Mar-15
4.	हाईड्रोलोजी परियोजना-11	विश्व बैंक	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	49.5	Apr-06	Jun-14
5.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम	एशियन डवैलपमेंट बैंक	पर्यटन विभाग	428.22	2010	2020
6.	हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	जे० आई० सी० ए०	कृषि विभाग	321	Jul-11	Mar-18
7.	क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	एशियन डवैलपमेंट बैंक	विद्युत विभाग	1927	Jan-12	Dec-18
8.	विद्युत परियोजनाएं	एशियन डवैलपमेंट बैंक	विद्युत विभाग	6673.87	Nov-08	Jun-16
कुल योग				12013.68		

पाईप लाईन में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

(₹ करोड़ों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	नोडल विभाग	डोनर एजेंसी	कुल अनुमानित लागत
1	2	3	4	5
1	हि०प्र० में शहरी विकास के लिए इनवेस्टमेंट प्लान (अधोसंरचना अन्तर को समाप्त करने के लिए तकनीकी सहायता) ।	शहरी विकास विभाग	एशियन डेवलपमेंट बैंक	675.00-900.00
2	अधोसंरचना विकास के अन्तर्गत ग्रामीण आजीविका बढ़ाव के लिए परियोजना प्रबन्धन के सामर्थ्य विकास के लिए तकनीकी सहायता ।	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	एशियन डेवलपमेंट बैंक	5.40
3	हिमाचल प्रदेश पारिस्थितिक व पारि-सेवा (Eco-Systems and Eco-Services) प्रबन्धन एवं विकास परियोजना	वन विभाग	जी०आई०जैड०	500.00
4	सुन्नी के समीप सतलुज नदी पर कोल डैम जलाशय से शिमला शहर के लिए उठाउ पेयजल योजना ।	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	ए०एफ०डी०	515.89
5	ददाहू के पास गिरी नदी से नाहन शहर के लिए पेयजल योजना	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	ए०एफ०डी०	75.00
6	520 मैगावाट नकथान (Nakthan) जल विद्युत परियोजना	विद्युत विभाग	ए०एफ०डी०/के०एफ०डब्ल्यू०	3495.00
7	141 मैगावाट थाना पलौन (Thana Plaun) जल विद्युत परियोजना	विद्युत विभाग	ए०एफ०डी०/के०एफ०डब्ल्यू०	1140.30

राज्य नवाचार परिषद:-

देश में नवाचार आन्दोलन के अभियान को बल देने तथा देश को एक नवाचार राष्ट्र में बदलने के लिए समावेशी विकास पर केन्द्रित रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से चुने गये 17 प्रमुख सदस्यों वाली राष्ट्रीय नवाचार परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य पिरामिड की निचली सतह पर स्थित लोगों की बुनियादी मानवीय जरूरतों/समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार के भारतीय मॉडल को विकसित करना होगा जो कि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा उर्जा, परिवहन व आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सस्ते अवसर पैदा करने में सक्षम होगा।

मूल दक्षताओं, स्थानीय प्रतिभाओं, संसाधनों और क्षमताओं का दोहन करने के लिए राज्य नवाचार परिषद को स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2011 को हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार परिषद की स्थापना की है। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों एवं विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों के प्रतिनिधित्व वाली इस परिषद का मुख्य फोकस निम्नलिखित गतिविधियां है:-

1. राज्य में नवाचार को बढ़ावा देना।
2. राज्य में युवा प्रतिभा व स्थानीय विश्वविद्यालयों, कालेजों, मध्यम व छोटे स्तर के उद्योगों तथा अनुसन्धान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
3. राज्य में नवाचार के लिए अवसरों को तलाशना।

4. नवाचार के अन्तर्गत प्रतिभाओं को पहचानना व सम्मानित करना तथा सफलता की कहानियों का प्रसार करना।
5. नवाचार पर सेमिनार व व्याख्यान कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा शिक्षण हेतु राज्य नवाचार पोर्टल स्थापित करना।
6. नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता प्रदान करना।
7. जोखिम पूंजी को व्यवस्थित करना तथा राज्य के लिए नवाचार रोड़ मैप 2010-2020 तैयार करना।

इस परिषद का मुख्यालय शिमला में स्थित है तथा राज्य योजना विभाग, परिषद को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय नवाचार परिषद द्वारा राज्य नवाचार परिषद की गतिविधियों पर दिये गये सुझाव सभी सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही हेतु भेजे गये हैं।

नवाचार तकनीक से सम्बन्धित निम्नलिखित मदों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये राज्य नवाचार परिषद से सम्बन्धित सभी सदस्यों, विभागाध्यक्षों व हिमाचल प्रदेश के समस्त उपायुक्तों से आग्रह किया गया है।

1. नई तकनीक (ईनोवेशन) को बढ़ावा दिया जायेगा।
2. आगामी वर्ष में राज्य के जिला कलेक्टरों से प्राप्त नये विचारों को परीक्षण उपरांत पाये गये योग्य प्रस्तावों का प्रायोगिक तौर पर क्रियान्वयन करवाया जायेगा।
3. आगामी वर्ष एक युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एमबीए, एमसीए तथा अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के विभागों में तीन से छः माह तक की अवधि के लिए ट्रेनी के रूप में रखा जायेगा।

राज्य में नवाचार की निम्नलिखित तकनीकों को अपनाया गया है:

1. **प्लास्टिक सड़कें:** वर्ष 2010-11 में यह ईनोवेशन शुरू की गई थी। 3.28 करोड़ रुपये का व्यय करते हुए अब तक 117.18 कि०मी० प्लास्टिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रयोजन के लिए 56.83 मि०टन प्लास्टिक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा चुका है।
2. **Way-Side सुविधाएं:** राष्ट्रीय व राज्य उच्च मार्गों के किनारों पर स्थित बंजर भूमि पर पर्यटन सूचना केन्द्रों, पिकनिक स्थलों, वर्षा शालिकाओं, शौचालयों, पार्किंग स्थलों, ऑटो मोबाईल रिपेयर दुकानों आदि way side सुविधाओं का विकास किया गया है।
3. **सी०एफ०एल० बल्ब:** सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को साधारण बल्बों के बदले में चार सी०एफ०एल० बल्ब वितरित किये हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से गैसों/प्रदूषण की मात्रा में कमी लाकर पर्यावरण में सुधार लाने में मदद मिली है तथा इससे प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये लागत की बिजली की बचत हुई है।
4. **प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध:** राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदूषण में कमी लाने तथा पारिस्थितिकी में सुधार लाने के लिए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों तथा दूसरे संस्थानों में हीटिंग के प्रयोजन के लिए जीवाश्म ईंधन व कोयले के प्रयोग को भी निषिद्ध कर दिया गया है।

5. **छत-वर्षा जल संचयन:** मनरेगा कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए वर्षा जल संचयन टैंकों को बनाने का निर्णय लिया गया है। इस पानी का उपयोग ग्रामीण परिवारों की सामान्य घरेलू तथा पशुओं को पीने के लिए पानी की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करने में सक्षम होगा।

VIII. नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभाग:

वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कों, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ-1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था। इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII तथा XVIII के अन्तर्गत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है। मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाएँ अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का निर्माण।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण “सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना”।
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना।
7. ई-अभिशासन (E-Governance)।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।
9. जल प्रवाह विकास योजना।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई)।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2013 तक प्रदेश सरकार को ₹ 3948.91 करोड़ की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(₹ करोड़ में)

द्रांच विवरण	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ -VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ -VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ -XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ -XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
आर.आई.डी.एफ -XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ -XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ -XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ -XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ -XVIII	2012-13 से 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
	कुल योग: (I से XVIII)	4798	3948.91	375.63	4324.54

4. दिनांक 31-03-2013 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि ₹ 3948.91 करोड़ में से प्रदेश सरकार ने ₹ 2714.96 करोड़ की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है जिसका विवरण निम्न तालिका में है :-

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम	स्वीकृत ऋण राशि	प्राप्त की गई राशि			प्रतिशतता
		1995-96 से 2011-12	2012-13 (31-03-2013 तक)	कुल	
1	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
आर.आई.डी.एफ -II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
आर.आई.डी.एफ -III	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
आर.आई.डी.एफ -IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
आर.आई.डी.एफ -V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
आर.आई.डी.एफ -VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
आर.आई.डी.एफ-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
आर.आई.डी.एफ-VIII	169.29	154.00	0.00	154.00	90.97
आर.आई.डी.एफ -IX	141.70	111.59	0.00	111.59	78.75
आर.आई.डी.एफ -X	91.64	78.82	0.00	78.82	86.01
आर.आई.डी.एफ -XI	224.67	209.75	0.71	210.46	93.68
आर.आई.डी.एफ-XII	272.30	227.06	25.40	252.46	92.72
आर.आई.डी.एफ-XIII	308.06	180.71	24.07	204.78	66.68
आर.आई.डी.एफ-XIV	424.82	268.21	53.75	321.96	75.79
आर.आई.डी.एफ-XV	454.13	213.69	79.08	292.77	64.47
आर.आई.डी.एफ-XVI	394.53	150.06	48.62	198.68	50.36
आर.आई.डी.एफ-XVII	423.69	114.67	29.25	143.92	33.97
आर.आई.डी.एफ-XVIII	432.16	0.00	139.12	139.12	32.19
कुल	3948.91	2314.96	400.00	2714.96	68.75

* वितरित ऋण राशि, स्वीकृत ऋण राशि से इसलिए अधिक है क्योंकि पूर्व में जारी अग्रिम को भविष्य में आहरण की गई राशि में समायोजित नहीं किया गया है ।

5. वर्ष 1995-96 से 2012-13 तक वर्षवार आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का ब्यौरा :

वर्ष	प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
Total	2714.94

6. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006-07 से 2012-13) :

(₹ करोड़ में)				
क्रम संख्या	वर्ष / द्रंघ	ऋण स्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशतता
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (560.00-नाबार्ड)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (540.00-नाबार्ड)	423.69	105.93
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (500.00-नाबार्ड)	432.16	108.04

7. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को चुनने, अनुमोदन तथा समीक्षा किए जाने हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

8. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :-

क्रम संख्या	बैठक का नाम	बैठक की तिथि एवं स्थान	बैठक की अध्यक्षता
1.	2.	3.	4.
1.	आर0आई0डी0एफ0 की 39वीं उच्च स्तरीय बैठक	21-5-2012 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	जिला योजना अधिकारियों के साथ बैठक	27-7-2012 शिमला	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3	विधायकों के साथ बैठके	23 व 24 जनवरी, 2013 शिमला	माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
4	आर0आई0डी0एफ0 की 40वीं उच्च स्तरीय बैठक	2-2-2013 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ द्विमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं। मासिक समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

IX. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग:

नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006

भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। वर्ष 1982, 1986 और फिर 2006 में इसकी पुनःसंरचना की गई थी। पुनःसंरचित कार्यक्रम को बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 (बीसूका-2006) के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू-सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है । पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मदें हैं । बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सभी 65 मदों का मासिक आधार पर निष्पादन/रिपोर्टिंग वांछित नहीं है । यह मदें प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होती हैं । वर्ष 2009-10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त रैंकिंग को समाप्त कर दिया गया है ।

प्रत्येक अनुश्रवण/निगरानी वाली मद का मासिक/वार्षिक उपलब्धि के आधार पर “बहुत अच्छा”, “अच्छा” और “खराब/चिन्ताजनक” श्रेणी के अनुरूप निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रतिशतता उपलब्धि	श्रेणी
1.	2.	3.
1.	90 प्रतिशत एवं उससे अधिक	बहुत अच्छा
2.	80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत	अच्छा
3.	80 प्रतिशत से नीचे	खराब/चिन्ताजनक

वर्ष 2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा मासिक / त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश का बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गत वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्य की उपलब्धि/स्थान का वर्षवार विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की उपलब्धि/स्थान
1.	2.	3.
1.	2006-07	Ranked First
2.	2007-08	Graded at Second
3.	2008-09	Adjudged 3 rd
4.	2009-10	Rated on 1 st Position
5.	2010-11	Placed at the Top in the very Good Category
6.	2011-12	Placed at the Top in the Very Good Category

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के प्रभावशाली निष्पादन में विभिन्न जिलों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अन्तर जिला श्रेणी/विश्लेषण का कार्य शुरु किया है । इसके अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तीन जिलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में

कमशः 50 लाख रूपये, 30 लाख रूपये व 20 लाख रूपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस प्रोत्साहन राशि को विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ।

वर्ष 2011-12 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम निष्पादन के आधार पर पांच जिलों कमशः कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, मण्डी एवं सोलन ने संयुक्त रूप से अन्तर जिला विश्लेषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है । एक करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि इन सभी जिलों में समान रूप से वितरित की गई।

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय-समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं।

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है । वर्ष 2012-13 में मुख्य सचिव, हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	तिमाही	बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की तिथि
1.	2.	3.
1.	प्रथम तिमाही 30-06-2012	01-08-2012
2.	द्वितीय तिमाही 30-09-2012	05-12-2012
3.	तृतीय तिमाही 31-12-2012	20-02-2013

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की दिनांक 20 जून, 2012 को माननीय मुख्य मन्त्री हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी अन्य योजना कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ-साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई ।

राज्य एवं राज्य के निचले स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सत्त समीक्षा के परिणामस्वरूप सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11/1/2012-13 टीपीपी(टार.) दिनांक 25 जुलाई, 2012 एवं 06 नवम्बर, 2012 के माध्यम से वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है ।

वर्ष 2012-13 के लिए मदवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets	Cum. Ach. up to March, 2013 (2012-13)	%age	Category
1	2	3	4	5	6	7
01A	Employment generation under the NREG Act					
01A01	No. of job cards issued	Number	NT	1138549	-	-
01A02	Employment generated	Lac Mandays	NT	23937000	-	-
01A03	Wages given in cash	Rupees in lakh	NT	2983402000	-	-
01B	Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana					
01B01*	Individual Swarozgaries Assisted	Number	493	1366	277.07	V.Good
01B02	Individual SC Swarozgaries Assisted.	Number	NT	503	-	-
01B03	Individual ST Swarozgaries Assisted	Number	N.T	195	-	-
01B04	Individual Women Swarozgaries Assisted	Number	NT	435	-	-
01B05	Individual Disabled Swarozgaries Assisted	Number	NT	25	-	-
01E	Self Help Groups (SHG)					
01E01	Formed under SGSY	Number	NT	743	-	
01E02*	To whom income generating activities provided	Number	899	1159	128.92	V.Good
05A*	Food Security-Targeted Public Distribution System (TPDS)					
05A01	Allocation of Food Grains to States/UTs	Tonnes	NT	527940	-	-
05A02	Off take of States/UTs	Tonnes	NT	548767	103.94	V.Good
05B*	Food Security-Antodaya Anna Yojana(AAY)					
05B01	Allocation of Food Grains to States/Uts	Tonnes	NT	82740	-	-
05B02	Off take of States/UTs	Tonnes	NT	85916	103.84	V.Good
05D*	Food Security-Below Poverty Line (BPL)					
05D01	Allocation of Food Grains to States/UTs	Tonnes	NT	133140	-	-
05D02	Off take of States/UTs	Tonnes	NT	159707	119.95	V.Good
06A	Rural Housing –Indira Awaas Yojana					
06A01*	Houses constructed-IAY	Number	6271	6279	100.12	V.Good
06A02	Houses sanctioned-IAY	Number	NT	6468	-	-
06B	EWS/LIG Houses in Urban Areas					
06B01	Houses sanctioned	Number	375	384	102.40	V.Good
06B02	Houses constructed	Number	NT	-	-	-
07A	Rural Areas –National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)					
07A03*	Habitations covered (Partially covered & Slipped back)	Number	2530	2531	100.03	V.Good
08B	Sanitation Programme in Rural Areas					
08D01	Individual Household latrines constructed (since inception)	Number	NT	1030538	-	-
08E	Institutional Delivery					
08E01	Delivery in institutions	Number	NT	75117	-	-

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets	Cum. Ach. up to March, 2013 (2012-13)	%age	Category
1	2	3	4	5	6	7

10A*	SC Families Assisted					
10A01	SC Families Assisted	Number	29289	74707	225.53	V.Good
10C	ST Families Assisted					
10C01	ST Families Assisted	Number	NT	11062	-	-
12A	Universalization of ICDS Scheme					
12A01*	ICDS Blocks Operational (Cumulative)	Number	78	78	100.00	V.Good
12B	Functional Anganwadis					
12B01*	Anganwadis Functional (Cumulative)	Number	18783	18866	100.44	V.Good
14A	No. of Urban poor families assisted under Seven Point Charter viz. land tenure, housing at affordable cost, water, sanitation, health, education and social security.					
14A01	Poor Families Assisted	Number	563	563	100.00	V.Good
15A	Afforestation (Public and Forest Lands)					
15A01*	Area Covered under Plantation	Hectares	28900	28902	100.00	V.Good
15A02*	Seedlings planted	Number in lakh	187.85	187.87	100.01	V.Good
17A	Rural Roads –PMGSY					
17A01*	Length of Road Constructed	Kilometer	980	876	89.38	Good
18B	Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana					
18B01*	Villages electrified-RGGVY	Number	15	14+	93.33	V.Good
18C	Energising pump sets					
18D01*	Pumps sets energized	Number	1175	2197	186.97	V.Good
18E02 *	Supply of Electricity					
18D01	Electricity demanded	Million units	NT	8638.42	-	-
18D02	Electricity supplied	Million units	NT	8493.00	98.32	V.Good
18D03	Shortage observed	Million units	NT	(-)145.42	-	-

* Items for Ranking Purpose.

NT=Non Targeted

+ : Note under item Code 18B01- villages electrified, out of 15 villages, 1 no. village Rasang has no habitation. Therefore, the total villages to be electrified are 14 in 2012-13 and the same stand electrified.

As Per Govt. of India Norms
Very Good (90% and above)
Good (80% to 90%)
Poor (Below 80%)

X. रेलवे प्रभाग :

वर्ष 2012-13 के लिए रेलवे प्रभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक प्रतिवेदन :

हिमाचल प्रदेश में रेलवे का इतिहास 19वीं सदी के अन्तिम दशक पुराना है। वर्ष 1895 में 96 कि०मी० लम्बे कालका-शिमला रेल ट्रैक का सर्वेक्षण किया गया था तथा इस नैरो गेज रेल ट्रैक के निर्माण के लिए 29 जून, 1898 को कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षरित हुआ। इस रेल लाईन का निर्माण कार्य 2 नवम्बर, 1903 को पूर्ण हुआ तथा इसे आम जनता के लिए 1 जनवरी, 1906 को खोला दिया गया।

एक अन्य नैरो गेज रेल ट्रैक पठानकोट-जोगिन्द्र नगर की लम्बाई 113 कि०मी० है। इस रेल लाईन का कार्य वर्ष 1926 में आरम्भ हुआ। तीन वर्ष उपरान्त 163 कि०मी० लम्बे इस रेल मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। स्वतंत्रता के उपरान्त 'नंगल-तलवाड़ा ब्रॉड गेज' रेल लाईन के अन्तर्गत केवल 44 कि०मी० लम्बा रेलवे ट्रैक ही राज्य में शामिल किया गया है। वर्तमान में कई चालू और पाईप लाईन रेलवे परियोजनाओं को भारत सरकार के साथ उठाया गया है। इस विभाग के रेलवे प्रभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क विस्तार के लिए वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित कार्यों हेतु कार्यवाही की है:-

1. नंगल तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाईन :

क. यह परियोजना रेलवे द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान स्वीकृत की गई थी तथा इस परियोजना की कमीशनिंग का लक्ष्य दिसम्बर 2013 रखा गया है। नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन की लम्बाई हिमाचल प्रदेश में 62 कि०मी० है। चूरडू टकराला से अम्ब-अन्दौरा तक रेल लाईन बिछा दी गई है तथा इस सैक्शन को रेल यातायात के लिये खोल दिया गया है।

ख. वर्ष 2012-13 के दौरान इस रेल लाईन के अन्तर्गत दौलतपुर चौक-मण्डवारा सैक्शन के लिए बजट प्रावधान में बढौतरी का मुद्दा भारत सरकार से उठाया गया है।

ग. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम 101 के अन्तर्गत दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को रेलवे बजट में की गई कटौती को रिस्टोर करने हेतु प्रस्ताव पारित कर अप्रैल 2012 को अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को भेजा गया है।

2. भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाईन :

क. यह परियोजना रेल बजट 2008-09 के दौरान स्वीकृत की गई थी। भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाईन की लम्बाई 63 कि.मी. है। इस रेल लाईन की प्रथम 20 कि.मी. की लम्बाई में 25 गाँव आते हैं जिसमें से 14 गाँव पंजाब में और 11 गाँव बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं।

ख. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा हिस्सेदारी के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह करते हुए 8 अगस्त, 2007 को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में हुई सहमति को ही बहाल रखने का अनुरोध किया गया है तथा इस रेलवे लाईन के भू-वैज्ञानिक एवं भू-तकनीकी सर्वेक्षण को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया गया है ताकि इस रेल लाईन के भू-अधियहण कार्य को समय पर पूरा किया जा सके।

3. बिलासपुर-लेह-लद्दाख वाया मण्डी - मनाली रेल लाईन :

क. प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, भानुपल्ली- बिलासपुर - बेरी ब्रॉडगेज रेल लाईन को लेह-लद्दाख तक विस्तार करने के लिये आग्रह किया है ताकि सीमा क्षेत्रों तक रक्षा सम्बन्धी उपकरण एवं मशीनरी ले जाई जा सके और साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सके।

ख. रेलवे मन्त्रालय द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिलासपुर से लेह-लद्दाख रेलवे लाईन (498 कि०मी०) की अनुमानित लागत रु० 22831 करोड़ दर्शाई गई है।

ग. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस रेल लाईन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया है।

4. पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करने बारे तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने के सम्बन्ध में :

क. राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय से पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करने बारे तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है क्योंकि यह रेलवे लाईन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एवं भारत चीन सीमा में लेह-लद्दाख क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिये बिना किसी रुकावट के तथा समय पर राशन व उपकरण इत्यादि पहुंचाने में यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगी ।

ख. इस रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस 181 कि०मी० लम्बी रेल लाईन की गेज को बदलने की निर्माण लागत 2888 करोड़ रु० (Diesel traction के अनुसार) तथा 3280 करोड़ रु० (Electric traction के अनुसार) आंकी गई है।

ग. रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस रेल लाईन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाए तथा निर्माण लागत का 33 प्रतिशत भाग प्रदेश सरकार वहन करे। इस मामले में, प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य सरकार निर्माण लागत का 33 प्रतिशत भाग वहन करने में असमर्थ है।

5. बद्दी-कालका रेल लाईन :

क. राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय से इस रेलवे लाईन का सर्वे करने का मामला उठाया है तथा अनुरोध किया है कि इस रेलवे लाईन का सर्वे बद्दी बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित एवं आने वाले उद्योगों/शैक्षणिक हब और कमर्शियल कम्पलैक्स होने के कारण शीघ्र पूरा किया जाये ।

ख. रेलवे ने सूचित किया है कि इस रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा यह रिपोर्ट 11.4.2011 को विचारार्थ रेलवे बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। सर्वेक्षण के अनुसार इस परियोजना की लागत 385 करोड़ रुपये आंकी गई है। राज्य सरकार ने इस लाईन के लिए उचित बजट प्रावधान करने का अनुरोध किया है।

6. घनौली-देहरादून वाया नालागढ़ जगाधरी-सूरजपुर-कालाअम्ब-पांवटा साहिब रेल लाईन : रेल मंत्रालय ने अपने रेलवे बजट 2010-11 में नई रेलवे लाईन सर्वे के अन्तर्गत इस रेल लाईन को शामिल किया था। राज्य सरकार के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने इस रेल लाईन तथा अन्य पांच नई प्रस्तावित रेल लाईनों के सर्वे हेतु आधारभूत सूचना मांगी है, जो कि राज्य सरकार द्वारा उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली को भेज दी गई है।

7. चण्डीगढ़-बद्दी नई रेल लाईन परियोजना : चण्डीगढ़-बद्दी ब्रॉडगेज रेल लिंक को वर्ष 2007-08 में रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसकी अनुमानित लागत मु० 699.00 लाख रुपये आंकी गई थी तथा विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया था। बाद में बद्दी को जोड़ने वाली परियोजना का वैकल्पिक प्रस्ताव की संभावना का पता लगाने के लिए कहा गया था क्योंकि चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन का भू-अधिग्रहण अव्यवहारिक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। वर्ष 2013-14 में इस रेल परियोजना के लिए मु० 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित निम्नलिखित नई रेल लाईनों का सर्वेक्षण प्रस्तावित है:-

1. नदौन के रास्ते अम्ब-कांगड़ा,
2. बद्दी-बिलासपुर,
3. धर्मशाला-पालमपुर।

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए प्रदेश सरकार ने चालू रेलवे लाईनों के लिए मु० 50.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है।

XI. मूल्यांकन प्रभाग:

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासआत्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है । मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन प्रक्रिया को जांचना है ताकि स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों व कमियों का पता लग सके और इन तथ्यों पर आधारित कार्यान्वयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय/सुझाव दिए जा सकें । विभिन्न

कार्यान्वयन एजेंडसियों से प्राप्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया ।

वर्तमान में मूल्यांकन प्रभाग को निम्न मूल्यांकन अध्ययनों का कार्य सौंपा गया है जो निम्न प्रकार से विभिन्न चरणों में है:-

1. विकेन्दीकृत नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन :-

यह अध्ययन वर्ष 2004 में शुरू किया गया था और इनके प्रपत्र जिला योजना अधिकारी कार्यालयों में सूचना एकत्र करने के लिए भेजे गये थे । भरे हुए प्रपत्र जो वापिस प्राप्त हुए थे उनकी जांच के उपरान्त यह पाया गया कि प्रपत्रों में बहुत कमियां व अनियमितताएं थीं । इन कमियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए इन प्रपत्रों को दोबारा जिला कार्यालयों को भेजा गया । इस प्रक्रिया का संचालन योजना विभाग के मुख्यालय द्वारा किया गया । पूर्ण सूचना प्राप्त होने के उपरान्त आंकड़ों का समेकन तथा विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

2. जल प्रवाह विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन :-

यह मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था । जो भरे हुए प्रपत्र योजना विभाग में प्राप्त हुए उनमें कई तरह की कमियां पाई गईं । जो प्रपत्र बनाये गये थे उनमें जल प्रवाह विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कुछ पहलू शामिल नहीं हो पाये थे । इस परिपेक्ष्य में तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक 12 दिसम्बर, 2011 को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर प्रपत्रों को पुनः बनाकर फिर से अध्ययन किया जायेगा । पुनः अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर प्रपत्र बनाये गये तथा ग्रामीण विकास विभाग सर्वे कर रहा है ।

3. हिमाचल प्रदेश के मन्दिर न्यासों में खातों के कम्प्यूटरीकरण बारे सर्वेक्षण :-

यह अध्ययन वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था । इस अध्ययन का उद्देश्य मन्दिर न्यासों पर अकाउंटिंग सिस्टम के कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन का आकलन करना था जिसके लिए सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान किये थे । रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

4. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण :-

पंजीकृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण केवल शिमला में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में किया गया था । रिपोर्ट लिखने के बाद सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई थी । सरकार ने अध्ययन का दायरा बढ़ाने के लिए कांगड़ा, मण्डी और सोलन जिलों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया । इस अध्ययन के दायरे को बढ़ाते हुए पूरे राज्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया है तथा अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग को इस अध्ययन का कार्य सौंपा गया है ।

5. राष्ट्रीय सम विकास योजना से सम्बन्धित मूल्यांकन अध्ययन :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि योजना विभाग हिमाचल प्रदेश के सिरमौर तथा चम्बा जिलों में कार्यान्वित

की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना का अध्ययन करेगा । मूल्यांकन प्रभाग में स्टाफ सीमित होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि इस अध्ययन को किसी बाहरी संस्थाओं/एजेंसियों से करवाया जाये । कार्यक्रम के उन पहलुओं के प्रभाव को देखा जायेगा जिसमें इस अध्ययन के उद्देश्य प्राप्त होने हैं । इसके अनुसार बाहरी एजेंसियों से निविदाएं आमन्त्रित की गई । इस सम्बन्ध में निविदाएं प्राप्त हुई हैं जोकि विचाराधीन हैं ।

XII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग:

विधायक प्राथमिकता प्रभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गए:-

1. पिछले वर्ष की माननीय विधायकों की बैठक की अनुवर्ती कार्यवाही तैयार की गई । पिछले वर्ष की माननीय विधायकों की बैठकें दिनांक 13 एवं 14 फरवरी, 2012 को माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी । इन बैठकों की अनुवर्ती कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों से मंगवाई गई । विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित की गई तथा सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई ।
2. वार्षिक योजना 2013-14 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23 एवं 24 जनवरी, 2013 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया । इन बैठकों में माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों एवं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को संकलित किया गया जिसे बैठक की कार्यवाही के रूप में सभी उपायुक्तों, सम्बन्धित विभागों एवं समस्त माननीय विधायकों, मुख्य संसदीय सचिवों, मन्त्रियों, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई ।
3. प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप माननीय विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षों सड़क, ग्रामीण पेयजल एवं सिंचाई के अन्तर्गत दो-दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई एवं चालू योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती है । इस प्रकार प्रत्येक विधायक की 6 नई एवं 6 चालू योजनाएं बजट में सम्मिलित की जाती है । माननीय विधायक को यह छूट होती है कि वह सभी 6 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुरूप माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं प्राप्त करने

के उपरान्त संकलित की गई । संकलित प्राथमिकताओं को “नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2013-14”, के रूप में प्रकाशित की गई । यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।

4. माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है । नाबार्ड से लिए गए ऋण पर सरकार को ब्याज अदा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ऋण लेने की भारत सरकार द्वारा अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के मध्यनजर एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे PMGSY, CRF, AIBP, NRDWP, इत्यादि के अन्तर्गत वित्त पोषित करने का प्रयास किया जाए। यदि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत माननीय विधायकों की प्राथमिकताएं वित्त पोषित न हो सके तो उस स्थिति में ही नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण करना सुनिश्चित किया जाएगा । इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को सूचित किया गया । इस निर्णय को क्रियान्वित करने का कार्य RIDF प्रभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
5. विधायक प्राथमिकता प्रभाग का कार्य गतिशील प्रवृत्ति का है । वर्ष के दौरान माननीय विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वाँछित कार्यवाही की गई । सम्बन्धित विभागों को माननीय विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित माननीय विधायकों को भी फेरबदल/प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सूचित किया गया ।

XIII. कम्प्यूटर प्रभाग:

कम्प्यूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्प्यूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टें पहले कम्प्यूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की साफ्टवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न साफ्टवेयर को विकसित किया है :-

1. वार्षिक योजना 2013-14 तथा पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए जी0एन0 सोफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
2. योजना बजट पर सोफ्टवेयर ।
3. आर.आई.डी.एफ. का सोफ्टवेयर / सुधार ।
4. माननीय विधायकों की प्राथमिकता की स्कीमों के सोफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
5. मूल्यांकन अध्ययन में frequency tables तैयार करने हेतु सोफ्टवेयर तैयार करना ।
6. वार्षिक योजना (2013-14) के दस्तावेज का कार्य ।
7. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों व अतिरिक्त मंहगाई भत्तों को तैयार करने सम्बन्धी सोफ्टवेयर तैयार करना ।
8. माननीय विधायकों की स्कीमों को सोफ्टवेयर के द्वारा Data Entry.
9. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एवं एस0ओ0ई0-वार आंवटन ।
10. विभिन्न कार्याक्रमों / स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट्स ।
11. आयकर विवरणिकाओं को तैयार करने में सहायता ।
12. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण करने तथा वर्ष 2012-13 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार करने में सहायता ।
13. Fact Book on Manpower तथा Quick Estimates 2011-12के दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता ।
14. विभाग की विभिन्न बैठकों के लिए Power Point Presentation.
15. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्ट्स ।
16. विभाग की Web site की maintenance/updation.
17. विभाग के सभी प्रभागों को वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई ।

18. आर.एफ.डी.सोफ्टवेयर ।
19. ई-डिसपैच कार्य ।
20. ई-वितरण (हिमकोष) कार्य ।
21. ए0सी0ए0/एस0पी0ए0 केन्द्रीय सहायता (योजना आयोग)
22. संसद सदस्यों के सोफ्टवेयर ।
23. विकेन्द्रीकृत योजनाओं का सोफ्टवेयर ।

3.3. जिला कार्यालय:

प्रदेश के सभी 10 गैर-जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है। जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं। जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1. जिला योजना अधिकारी
2. साख योजना अधिकारी
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी
4. सांख्यिकीय सहायक
5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में कुल तीन पद)
6. आशुटंकक
7. लिपिक
8. चपड़ासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्यमंत्री ग्राम पथ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा जिला ईनोवेशन फंड इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उप-नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचना:

(i)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्य	कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें ।
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं डियूटी।	<p>सलाहकार (योजना) विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण । सलाहकार (योजना) कार्य निष्पादन में प्रधान सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा प्रधान सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।</p> <p>संयुक्त निदेशक (योजना) संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है । वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निवारण एवं कार्य जैसे योजना प्रारूपण, कार्यान्वयन एवं समय-समय पर योजना आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करता है ।</p> <p>उप-निदेशक (योजना) सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, परियोजना प्रारूपण, नौराड़, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्प्यूटरीकरण, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक हैं । समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं ।</p> <p>अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती है । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मद्-3.3. "जिला कार्यालय" में किया गया है ।</p> <p>सहायक अनुसंधान अधिकारी विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>सांख्यिकीय सहायक विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>गणक विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।</p> <p>कार्यक्रम योजना अधिकारी कार्यक्रम योजना अधिकारी कम्प्यूटर कक्ष के प्रभारी हैं । वह योजना विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करना, इत्यादि में सहायता करते हैं ।</p> <p>गणक संचालक विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं ।</p>

		<p>अधीक्षक ग्रेड-1 अधीक्षक वर्ग-1 योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष में प्रशासनिक कार्यों को दक्षता से निष्पादित करने के लिए अधीक्षक ग्रेड-1 का पद सृजित किया गया है। प्रशासन प्रभाग के सभी सम्बन्धित सहायक अपनी नस्तियां आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से संयुक्त निदेशक जो कि कार्यालय अध्यक्ष भी हैं, को प्रस्तुत करते हैं।</p> <p>अधीक्षक ग्रेड-11 यह पद विभाग में रिक्त है। अधीक्षक ग्रेड-11 प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखता है, तथा नस्तियां आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करता है।</p> <p>वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को उच्च अधिकारियों के स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं।</p> <p>लिपिक यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग-11 द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।</p> <p>निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं।</p> <p>आशु-टंकक जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि कार्यों के लिए कार्यरत हैं। जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं।</p> <p>प्रतिलिपि यन्त्र चालक विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं।</p> <p>चपड़ासी विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।</p> <p>चौकीदार विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखता है।</p> <p>सफाई कर्मचारी विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं।</p>
(iii)	प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम	सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं। विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं। विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है।

(iv)	कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड	विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।
(v)	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं ।	<p>विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों-विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सी.सी.एस. लीव रूलज, 1972 2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.एस रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम 6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज 7. यात्रा अवकाश रूलज 8. बजट मैनुअल 9. आफिस मैनुअल 10. पैंशन नियम 11. सामान्य भविष्य निधि नियम <p>निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विकेन्द्रकृत नियोजन 2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम 3. क्षेत्रीय विकास निधि योजना 4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना 5. सांसद निधि योजना 6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 7. बाहया सहायता परियोजना प्रभाग 8. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना 9. ग्रामीण संरचना विकास निधि 10. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund) <p>अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वेबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं । विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वेबसाईट पर डाल दिया गया है</p>
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों ।	पंच-वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच-वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची, जिलावार त्रैमासिक 20-सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट एवं विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।
(vii)	किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो ।	विभाग की विभिन्न समितियों में जन-प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति-निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन-प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को

		मनोनीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाता है । उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति-निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।
(viii)	बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो ।	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:- 1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड । 2. राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियां । इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं ।
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका ।	कृपया मद्- '2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' का अवलोकन करें ।
(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली ।	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं । विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वेतन एवं भत्तों का विवरण कृपया मद् '2.योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' पर दिया गया है ।
(xi)	प्रत्येक एजेंन्सी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपोर्ट जो बनती है ।	योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है । प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम, आवंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है ।
(xii)	उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित ।	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता है ।
(xiii)	रियायतों के पात्रों का विवरण ।	लागू नहीं है ।
(xiv)	इलैक्ट्रॉनिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे ।	विभाग की वेबसाईट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वेबसाईट www.hp_planning.nic.in पर उपलब्ध है ।
(xv)	लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाईवरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो ।	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है ।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के पद-नाम एवं विवरण ।	सूचना नीचे अलग से दी गई है ।
(xvii)	ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो ।	लागू नहीं है ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.
(क) सचिवालय स्तर पर				
1.	श्री उत्तम सिंह लोक सूचना अधिकारी	अवर सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2628504	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग ।
2.	डॉ० श्रीकान्त बाल्दी अपील प्राधिकारी	प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2. दूरभाष नं. 2620043	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग ।
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 27-06-2009 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 (एक्ट नं. 22 ऑफ 2005) के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				
(ख) राज्य स्तर पर				
1.	श्री बसु सूद, लोक सूचना अधिकारी	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2625856	राज्य स्तर पर योजना विभाग ।
2.	श्री तारा चन्द चौहान, सहायक लोक सूचना अधिकारी	अनुसन्धान अधिकारी (आहरण एवं वितरण अधिकारी)	आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2620563	राज्य स्तर पर योजना विभाग ।
3.	श्री मनीश गर्ग, अपील प्राधिकारी	सलाहकार (योजना)	आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2621698	राज्य स्तर पर योजना विभाग ।
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.
(ग) जिला स्तर पर				
1.	श्री रवि चन्द नेगी, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय शिमला दूरभाष नं.0177-2808399	सम्बन्धित जिला
2.	श्री सुरेश कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय सोलन दूरभाष नं.01792- 220697	सम्बन्धित जिला
3.	श्री अनुज कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं.01702-223008	सम्बन्धित जिला
4.	श्री जय किशोर कटैत, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय ऊना दूरभाष नं.01975-226057	सम्बन्धित जिला
5.	श्री गौतम चन्द, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला दूरभाष नं.. 01892-223316	सम्बन्धित जिला
6.	श्री तेज सिंह ठाकुर लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय मण्डी दूरभाष नं.01905-225212	सम्बन्धित जिला
7.	लोक सूचना अधिकारी का पद रिक्त श्री जवाहर लाल वर्मा, सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक अनुसंधान अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय चम्बा दूरभाष नं.01899-226166	सम्बन्धित जिला
8.	श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर दूरभाष नं.01978-222668	सम्बन्धित जिला
9.	श्री हीरा सिंह चौहान लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कुल्लू दूरभाष नं.01902-222873	सम्बन्धित जिला
10	श्री रविन्द्र कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				



ANNUAL
GENERAL ADMINISTRATIVE
REPORT
2012-2013

Planning Department
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

CONTENTS

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	BACKGROUND AND INTRODUCTION	1
2.	STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT	1
3.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	2
3.1.	STATE PLANNING BOARD	2-3
3.2.	HEADQUARTERS	4
	(I) Administration Division	4
	(II) Plan Formulation Division	5-6
	(III) Plan Implementation Division	6-8
	(IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division	8-9
	(V) Regional & District Planning Division	10-12
	(VI) Manpower and Employment Division	12-13
	(VII) Externally Aided Project (EAP) Division	13-17
	(VIII) NABARD – RIDF Division	17-21
	(IX) New 20-Point Programme-2006 Division	21-25
	(X) Railway Division	25-27
	(XI) Evaluation Division	27-28
	(XII) MLA Priority Division	29
	(XIII) Computerization Division	30
3.3.	DISTRICT OFFICES	30-31
4.	INFORMATION OF RTI ACT-2005	32-38

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

Sr. No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant	Pay Band (In Rs.)	Grade Pay (In Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	-	1	*	*
2.	Dy. Chairman (20 Point Programme)	1	1	-	*	*
3.	Adviser (Planning)	1	1	-	37400 – 67000	8800
4.	Joint Director	1	1	-	15600 – 39100	7600
5.	Deputy Directors	6	5	1	15600 – 39100	6600
6.	Research Officers / District Planning Officers	20	14	6	10300 – 34800	5400
7.	Credit Planning Officers	10	10	-	10300 – 34800	5000
8.	Assistant Research Officer	17	17	-	10300 – 34800	4200
9.	Statistical Assistant	20	15	5	10300 – 34800	3800
10.	Computer	6	5	1	5910 – 20200	1900
11.	Programme Planning Officer	1	1	-	10300 – 34800	4200
12.	Computer Operators	2	2	-	10300 – 34800	3600
13.	Private Secretary	1	-	1	10300 – 34800	5000
14.	Personal Assistant	2	1	1	10300 – 34800	4200
15.	Senior Scale Stenographer	1	1	-	10300 – 34800	3800
16.	Junior Scale Stenos	6	6	-	5910 – 20200	2800
17.	Steno-Typists	12	2	10	5910 – 20200	2000
18.	Superintendent Grade-I.	1	-	1	10300 – 34800	5000
19.	Superintendent Grade-II.	1	-	1	10300 – 34800	4800
20.	Senior Assistant	20	20	-	10300 – 34800	4400
21.	Junior Assistant	3	3	-	10300 – 34800	3600
22.	Clerk	13	12	1	10300 – 34800	3200
23.	DMO	1	1	-	4900 – 10680	1900
24.	Driver	3	2	1	5910 – 20200	2400
25.	Peons	20	20	-	4900 – 10680	1650
26.	Chowkidar	1	1	-	4900 – 10680	1650
27.	Frash	1	1	-	4900 – 10680	1650
28.	Jamadar	1	1	-	4900 – 10680	1800
29.	Sweeper	1	1	-	4900 – 10680	1650
	TOTAL	174	144	30		

* : Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Deputy Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

3. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

- 3.1. State Planning Board.
- 3.2. Headquarters.
- 3.3. District Offices.

3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 26th August, 2009.

I. Composition:

(i) **Chairman:** Chief Minister

(ii) **Non-official Members:**

1. All Cabinet Ministers
2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)
(Notified separately)
3. One Representative each of Farmers,
Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women
(Notified separately)
4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs
(Notified separately)
5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments
(Notified separately)

(iii) **Official Members:**

1. Chief Secretary,
2. All Administrative Secretaries
3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(iv) **Ex-officio Members:**

1. President, H.P. Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

(v) **Member Secretary :** Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the five year plans and annual plans and evolve a short term strategy (Five Year Plan) for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to over come them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

State Annual Plan size amounting to Rs. 4100.00 crore for the year 2013-14 was discussed and approved. The Planning Commission, Government of India has also approved the Plan size recommended by the State Planning Board amounting to . 4100.00 crore for the year 2013-14.

3.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

1.	Minister – Incharge	Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Pr. Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. A Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration). Following staff has been provided in this division:-

(a) Drawing and Disbursing Officer	-	1
(b) Superintendent Grade-I.	-	1
(c) Superintendent Grade-II.	-	1
(d) Senior Assistant	-	4
(e) Junior Assistant	-	3
(f) Clerk	-	2
(g) Peon	-	1
(h) Chowkidar	-	1
(i) Frash	-	1
(j) Sweeper	-	1

Total		16

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

1. Preparation of State's Draft 12th Five Year Plan (2012-17) & Annual Plan (2013-14) Document

- ◆ A series of meetings with concerned departments were conveyed in the month of October, 2012 under the Chairmanship of Pr. Secretary (Planning) to the Govt. of H.P. to discuss the plan priorities of the departments for 12th Five Year Plan & Annual Plan (2013-14).
- ◆ The guidelines for preparation of detailed 12th Five Year Plan & Annual Plan document for the year 2013-14 were issued to all concerned departments requesting them to send detailed Plan proposals.
- ◆ On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from departments for various heads of development, a draft 12th Plan (2012-17) and annual plan (2013-14) document has been prepared. The same has been submitted to the Planning Commission, Govt. of India for official level sectoral discussions and also for the meeting between Deputy Chairman, Planning Commission and Hon'ble Chief Minister, H.P.
- ❖ The State Government proposed the size of 12th Five Year Plan (2012-17) at ` 22,800 crore and Annual Plan for the year (2013-14) at ` 4100 crore. The Sector –wise break up is given as under:-

(₹ in Crore)			
Sr. No.	Sector	12 th Five Year Plan (2012-17) Proposed Outlay	Annual Plan (2013-14) Proposed Outlay
1.	2.	3.	4.
1.	Agriculture and Allied Activities	2906.79	530.84
2.	Rural Development	1276.73	169.71
3.	Special Area Programme	155.75	26.01
4.	Irrigation & Flood Control	1972.37	301.14
5.	Energy	2805.59	624.68
6.	Industry and Minerals	224.42	48.81
7.	Transport & Communication	4709.88	865.14
8.	Science, Technology & Environment	104.92	15.72
9.	General Economic Services	596.59	98.22
10.	Social Services	7674.22	1371.40
11.	General Services	372.74	48.33
	Total	22800.00	4100.00

- ❖ The Demand / Major Head/ Sub Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head wise schematic outlays were conveyed to the Finance Department for budgeting the same in the State Budget 2013-14.

2. Miscellaneous:

The speech of Hon'ble Chief Minister, of H.P. for the meeting of National Development Council (NDC) held on 27th December, 2012 to approve the 12th Plan was also prepared by the Planning Department during the period of the report.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals for diversion and reappropriation thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/reappropriations are permitted.
2. Additionalities are provided from those schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and reappropriations were called from all departments in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors. The proposals were scrutinized and examined, send the revised outlays were got approved from Planning Commission, Govt. of India in time. Govt. of India has approved ` 3700.00 crore for the Annual Plan 2012-13.
5. During the year under report, 299 references from different departments for obtaining advice on their departmental files were received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget by developing software for this purpose.

1. Review of Quarterly Progress Reports/ Quarterly Review Meetings :

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms have been fixed for incurring of plan expenditure/ ACA related schemes under various head of developments:-

(i) Plan expenditure

Sr.No.	Quarters	%age of Expenditure
1.	First Quarter	20%
2.	Second Quarter	25%
3.	Third Quarter	30%
4.	Fourth Quarter	25%
Total		100%

(ii) **ACA related Schemes**

Sr.No.	Quarters	%age of Expenditure
1.	First Quarter	30%
2.	Second Quarter	35%
3.	Third Quarter	35%
4.	Fourth Quarter	-
Total		100%

The revised proposal of outlays alongwith scheme of financing, plan expenditure of Annual Plan 2012-13 upto December, 2012 and audited expenditure for the Annual Plan 2011-12 are supplied to Finance Ministry and Planning Commission, Govt. of India to enable State Government in getting withheld Central Assistance released.

Plan Performance Review Meetings with the all implementing departments were conducted during the year 2012-13 as under:-

1. Review Meeting of Annual Plan upto first quarter ending 30th June, 2012 held on 2nd August, 2012 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P.
2. Review Meeting of Annual Plan upto second quarter ending 30th September, 2012 held on 5th December, 2012 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P.
3. Review Meeting of Annual Plan upto third quarter ending 31st December, 2012 held on 20th February, 2013 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P.

2. Quarterly Budget Authorisation:-

A new system of Quarterly Budget Authorization has been started from the year 1999-2000. Accordingly, quarterly budget authorization for the year 2012-13 was given to all departments and quarterly progress reports on financial spending were collected from the departments for review.

3. Budget Assurances:

This Division also convenes the review meetings to monitor the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech. The information from nodal departments was collected, compiled and progress of implementation of Budget Assurances for the year 2012-13 was reviewed during the meetings held under the Chairpersonship of Chief Secretary periodically and necessary instructions given to the implementing departments.

4. Pending issues with Government of India

'Pending issues with Government of India' is a compilation of the important matters / issues which are pending between HP State & Central Government.

During 2012-13 a document was prepared and sent to the Hon'ble Members of Parliament and H.P. Cadre officers in Government of India. All the issues raised by the departments with Government of India are compiled in a single document alongwith photocopy of the letters under correspondence.

5. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress.

This Division has performed the following functions under CSS during the year 2012-13:-

Advices regarding financial implications of CSS and their counterpart provision in plan were given to the implementing departments.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:

State Government has evolved a concept of Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of micro-regional disparities in the level of development. During the year 1995-96, H.P. Government, in consonance with the budget speech of Hon'ble Chief Minister, framed a comprehensive policy for backward areas which is under implementation since then in H.P. The salient features of the policy are as under:-

- (a) The Backward Area Sub Plan comprises of three categories:-
- (i) Backward Blocks:** All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.
 - (ii) Contiguous Pockets:** Group of five or more declared backward Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward Panchayats in the State.
 - (iii) Dispersed Panchayats:** Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (I) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 114 Dispersed Panchayats in the State.
- (b) As per past practice, instead of 15% outlays, earmarked funds are being allotted for Backward Area Sub Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.
- (c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted.
- (d) The allocation to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.

- (e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions/ re-appropriation with the approval of DPDC. Dy. Commissioners and District Planning Officers have been declared controlling and Drawing & Disbursing Officers respectively.

There are total 551 Panchayats declared as backward in the State. The single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has also been created by the State Government for separate budgetary arrangements under BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. An outlay of ` 3500.00 lakh has been earmarked under BASP for the year 2012-13 under Plan. An outlay of ` 3700.00 lakh is also proposed for the year 2013-14 under BASP (Plan). Keeping in view the changing economic and social condition of population of Himachal Pradesh, the Government of Himachal Pradesh is in the process of revising the norms for declaring panchayats as backward and this Division is coordinating it.

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2012-13 outlays, expenditure and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(In Lakh)				
Sr. No.	District	Number of Backward declared Panchayats	BASP BUDGET & EXPENDITURE 2012-13	
			Budget (Plan)	Tentative Expenditure (Plan)
1	2	3	4	5
1	Bilaspur	15	95.28	95.28
2	Chamba	159	1010.08	1010.08
3	Hamirpur	13	82.56	82.56
4	Kangra	17	107.97	107.97
5	Kullu	79	501.74	501.74
6	Mandi	149	946.54	946.54
7	Shimla	83	527.23	527.23
8	Sirmour	26	165.15	165.15
9	Solan	7	44.46	44.46
10	Una	3	18.99	18.99
	TOTAL	551	3500.00	3500.00

Entire work related to BASP such as budget allocation, monitoring/ review of sub plan and work related to AG/ CAG, Vidhan Sabha, etc. were done by the Backward Area Sub Plan Division during the year -2012-13.

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at the State level in the office of Planning Department. Description of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure effective people's participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts / resources, the programme- Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced for implementation in the year 1991-92 . Under this programme, people's participation is purely on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. The schemes with an estimated cost of Rs. 10.00 lakh and below are sanctioned by the DCs and schemes estimating upto Rs. 20.00 lakh are sanctioned at the Directorate of Planning, upto Rs. 40.00 lakh by the Secretary (Planning) and above Rs. 40.00 lakh are sanctioned by Finance Department. An amount of Rs.1700.00 lakh had been allocated during the financial year 2012-13 to the DCs (Except Kinnaur and Lahaul & Spiti districts) for the works to be sanctioned at their level.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP) :

Sectoral Decentralized Planning Programme has been started in the Pradesh during the year 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds is made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links occurring in the budgetary allocations are mainly taken up for implementation. An amount of Rs. 4737.00 lakh has been allocated to the Deputy Commissioners (Except Kinnaur & Lahaul Spiti) for issuing sanctions at their level during the year 2012-13.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

To further strengthen the decentralization process, the State Government has started a new scheme “**Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana**” from the year 1999-2000 but it was discontinued during the year 2001-2002. This scheme was restarted during the year 2003-04. The scheme envisaged allocation of Rs.15 lakh per MLA during the year 1999-2000 for taking up developmental scheme/works in his constituency. This allocation was enhanced to Rs. 20 lakh in the year 2000-01, Rs. 24 lakh 2003-04 , Rs. 25 lakh per MLA in the year 2004-05 , Rs. 30 lakh per MLA in the year 2008-09 and Rs. 50 lakh per MLA in the year 20012-13.

The implementation and monitoring of the scheme has been made more effective and intensive with the direct involvement of Hon'ble MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state irrespective of political affiliation . During the financial year 2012-13 Rs. 3260.50 lakh has been provided by this department to the Non-Tribal districts at the rate of Rs. 50.00 lakh per Vidhan Sabha Constituency for execution of developmental works. Out of Rs. 50.00 lakh, Rs. 5.00 lakh were to be spent on the works under norms of Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) with the recommendation of Hon'ble MLA's.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca besides having a provision for the construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Government has permitted construction of jeepable/ tractorable link roads upto 2km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this schemes was discontinued and was restarted during the financial year 2008-09 with a budget provision of Rs. 1000.00 lakh. During the current financial year 2012-13 Rs. 400.00 lakh were provided to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts.

5. Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Members of Parliament are approached by their constituents, quite often, for small works of involving capital liabilities to be undertaken in their constituencies. Hence, there was a demand made by MPs that they should be able to recommend works to be undertaken in their constituencies. Considering these suggestions, the Prime Minister announced in Parliament on 23rd December, 1993, the "Member of Parliament Local Area Development Scheme".

Under this Central Sector scheme, each MP suggested works to the tune of Rs. 1.00 crore per year starting from the financial year 1994-95 to be taken up in his/ her constituency. Elected Member of Rajya Sabha representing the whole of the State as they do, may select works for implementation in one or more District (s) as they may choose. Nominated Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha may also select works for implementation in one or more Districts, anywhere in the country. The allocation per MP per year was increased to Rs. 2 crore from the year 1998-1999. Now from the financial year 2011-12 the allocation per MP per year stands increased to Rs. 5.00 crore.

6. District Innovation Fund (DIF):

As recommended by the 13th Finance Commission, the funds under District Innovation Fund are being utilized in Himachal Pradesh from the year 2011-12 for the implementation of the schemes for bridging the missing links under the budget at

the district level out of this fund. Under this scheme, a total allocation of Rs 12.00 crore for 2011- 2015 has been made for Himachal Pradesh.

As per the report, the criteria for the allocation is Rs. 1.00 crore for one district over a period of 4 years. As per the recommendations of the 13th Finance Commission, these funds have to be used as 90% grant and 10% contribution from the beneficiaries who are availing benefits under this scheme. During the financial year 2012-13 an amount of Rs. 3.00 crore was allocated to 12 districts of the State (Rs. 25.00 lakh per district).

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:

The following main tasks have been assigned and performed by Manpower and Employment Division during the year 2012-13:-

i) Fact Book On Manpower

The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodic follow-ups and revisions. In this publication, data with statistical tables regarding population, manpower, employment, unemployment, training institutions, directly related to the training and employment is compiled. The “Fact Book on Manpower” for the year 2001-2010 has been published and the data for the year 2011 has been compiled and is being finalized for printing.

ii) Employment Market Information Programme

The quarterly review reports of employment generation in the organized sector of the economy under “Employment Market Information Programme”, was started during the year 1988. The quarterly report for the year 2010-11 has been printed while the report for the year 2011-12 has been accomplished and is ready for printing.

iii) State Government Employment Plan

A chapter on employment situation in Himachal Pradesh was presented in the Annual Plan 2013-14 depicting employment strategy of the State, population and labour force situation and employment plan.

The information on employment generation from the concerned departments on a monthly basis was collected to assess the position of employment generation in all the three sectors i.e. Government, Organised & Self Employment and Wage Employment. The State Government has adopted a three pronged strategy to enhance the employment opportunities in these sectors. The progress of employment generation in terms of physical achievements was reviewed regularly on monthly basis.

iv) Skill Development

The work relating to skill development is coordinated by the Planning Department. A Skill Upgradation Council was constituted during the year 2012 and further a proposal to establish a State Skill Development Council has been moved as announced by Hon'ble Chief Minister in his Budget Speech for the year 2013-14. A Skill Development Action Plan was prepared and the proposals of concerned departments have been incorporated in the 12th Plan (2012-17) and Annual Plan document for the year 2013-14. A comprehensive note was prepared for the experience sharing skilling workshop held on 31st October, 2012 in Prime Minister's office, and as a preparatory exercise which was sent to the office of Prime Minister on Skill Development in New Delhi. A meeting to review the progress made under Skill Development/Skill Up-gradation programmes was held on 22nd August, 2012 under the Chairmanship of Chief Secretary, HP and Shri Shikhar Agrawal, Private Secretary to Advisor to the Prime Minister, National Council on Skill Development, GoI, also attended this meeting. The minutes of the meeting were circulated to all concerned departments for follow up action.

VII. EXTERNALLY AIDED PROJECT (EAP) DIVISION:

Externally Aided Project Division in the Planning Department has been assigned the task of project appraisal. The subject requires a multi-disciplinary and rational approach. The Division analyses the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, etc. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAPs being implemented in the State and also keeps track of overall Additional Central Assistance(ACA) being received in respect of EAPs. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in respect of EAPs. Principal Secretary (Planning) to the Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh.

Assignments during the year 2012-13 by the division:

1. Review and monitoring of financial and physical progress of ongoing EAPs on quarterly basis.
2. Review & Monitoring of Additional Central Assistance due and received in respect of all external aided projects in relation to the expenditure claims filed and releases made by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.
3. Advises were given to the different departments in the context of Externally Aided Project proposals.

4. The Outlays and Likely Reimbursement proposal for Annual Plan 2013-14 was prepared in respect of the Externally Aided Projects being implemented in the State and was sent to Planning Commission, Government of India.

The Guidelines received from various external aid agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, etc. and Government of India were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in the division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters. The project proposals were returned after analysis, to the concerned departments with the observations for alterations and modifications for posing the projects to the funding agencies through the concerned Central line Ministries and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

Bilateral Collaboration Between Himachal Pradesh & British Columbia, Canada :

Various meetings between State Government and representatives of High Commissioner of Canada and Consul General of Canada based at Chandigarh were held for mutual cooperation. Consequent to the series of meetings / discussions and after the approval of State Government a "Letter of Intent" was signed between State of Himachal Pradesh and Province of British Columbia, Canada on 16th November, 2011 at Chandigarh to develop and strengthen bilateral relations through mutual exchange and cooperation. The further action in the matter is being taken.

On-Going Externally Aided Projects being implemented in Himachal Pradesh:

(in Crore)

Sr . No.	Name of the Project	Donor Agency	Nodal Department	Total Cost	Project Period	
					Starting Date	Concluding Date
1	2	3	4	5	6	7
1	HP State Road Project	World Bank	Public Works	1802.84	Jul-07	Jun-16
2	HP Mid Himalayan Watershed Development Project	World Bank	Forest	596.25	Oct-05	Mar-16
3	Swan River Integrated Watershed Management Project	JICA	Forest	215	Mar-06	Mar-15
4	Hydrology Project-II	World Bank	I&PH	49.5	Apr-06	Jun-14
5	Infrastructure Development Investment Programme for Tourism in HP	ADB	Tourism	428.22	2010	2020
6	HP Crop Diversification Promotion Project	JICA	Agriculture	321	Jul-11	Mar-18
7	HP Clean Energy Transmission Investment Program	ADB	Power	1927	Jan-12	Dec-18
8	Power Projects	ADB	Power	6673.87	Nov-08	Jun-16
	Total			12013.68		

Externally Aided Projects in Pipeline:-

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Name of Project	Nodal Department	Donor Agency	Estimated cost
1	2	3	4	5
1	Preparing an Investment Plan for HP Urban Development (Technical Assistance to Bridge Infrastructural Gaps)	Urban Development	ADB	675.00-900.00
2	Technical Assistance for Capacity Development for project management of Infrastructure Development for Rural Livelihood Enhancement	Tourism	ADB	5.40
3	Himachal Pradesh Ecosystems and Eco-services Management and Development Project	Forest	GIZ	500.00
4	Lift Water Supply Scheme to Shimla Town from Kol Dam Reservoir on river Satluj near Sunni	I & PH	AFD	515.89
5	Water Supply Scheme to Nahan Town from Giri River at Dadahu	I & PH	AFD	75.00
6	520 MW Nakthan Hydro Electric Power Project	Power	AFD	3495.00
7	141 MW Thana Plaun Hydro Electric Power Project	Power	AFD	1140.30

STATE INNOVATION COUNCIL:

With a view to drive the innovation movement in the country and to lay a roadmap for transforming the country into an innovation nation, with a focus on inclusive growth, the Government of India has constituted a National Innovation Council (NIC) consisting of 17 prominent members from different fields. The core focus will be to drive an Indian Model of Innovation to provide solutions related to basic human needs for the people at the bottom of the pyramid which should create affordable opportunities in key areas such as Health, Agriculture, Education, Energy, Transport and Housing etc.

To explore the possibilities for setting up of State Innovation Council to harness the core competencies, local talent, resources and capabilities to create new opportunities; Government of Himachal Pradesh has constituted HP State Innovation Council on 7th January, 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh giving representation to Administrative Secretaries of the concerned departments and Vice- Chancellors of the Universities in the State with a focus on following activities:

1. To promote innovation in the State
2. To encourage young talent and local universities, colleges, medium & small scale industries and R&D Institutes in the State;

3. To map opportunities for innovation in the State;
4. To identify and reward talent in innovation and disseminate success stories;
5. To organize seminars, lectures workshops on innovation and create State Innovation portal to educate;
6. To help in creating innovation eco-systems an
7. To organize risk capital and prepare an innovation road map 2010-2020 for the State.

The Headquarter of the State Innovation Council is at Shimla and Planning Department will provide the Secretarial assistance to the Council.

The suggestions on the activities of the State Innovation Councils received from Government of India has also been circulated to all concerned departments for taking further necessary action. All the members of State Innovation Council, the concerned HOD's and all the Deputy Commissioners of Himachal Pradesh have been requested to take further action on the following items of the election manifesto of Congress Party which has been adopted as the Policy Document of the State Government:-

1. To promote new innovation in the State.
2. In the coming year, new ideas received from DCs after scrutiny will be implemented on the experimental basis.
3. In the coming year, a youth training programme will be started under which all the talented youth perusing their studies in the field of MBA, MCA and other courses will be given opportunity to work as a trainee in various departments of the State Government for a duration of 3 to 6 months.

The following innovations have been adopted in the State:

1. **Plastic Roads:** From 2010-2011 onwards, 117.18 KM of plastic roads by incurring an expenditure of ` 3.28 crore has been constructed in the State. For this purpose 56.83 MT of plastic waste has been utilized.
2. **Way-Side Amenities:** Way side amenities on waste land on the curves of National/ State Highways like C/o tourist information center, picnic spots, rain shelters, toilets, parking space, auto-mobile repair shops etc. has been taken up in the State.
3. **CFL Bulbs:** State Government has provided four CFL bulbs to each household in replacement of ordinary bulbs. This arrangement has helped in improving environment by way of reduction of gases/pollution and saving electricity worth ` 200 crore per annum.
4. **Ban on Plastic:** The use of plastic has been banned in the State. Himachal is the first such State in the country which has done it. The use of coal and fossil fuel for heating purpose has also been banned in the Government offices and other institutions in the State to reduce pollution and improve ecology.
5. **Roof-Rain Water Harvesting:** The rain water harvesting tanks have been decided to be built in all the rural households under MGNREGA Programme. It

will help meeting water requirements of households to some extent for washing & to provide drinking water to the animals.

VIII. NABARD-RIDF DIVISION:

Rural Infrastructure Development Fund under NABARD sponsored programmes for extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards has been implemented in the State since **RIDF-I (1995-96)**. This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII & XVIII** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects and later on loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has either got projects approved or has posed projects to NABARD funding are :-

- (i) Construction of Roads and Bridges.
- (ii) Construction of Irrigation schemes.
- (iii) Construction of Flood Protection Works.
- (iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
- (v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
- (vi) Establishment of Citizen Information Centres.
- (vii) E-Governance.
- (viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
- (ix) Watershed Development Projects.
- (x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
- (xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
- (xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of ` 3948.91 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31st March, 2013. The tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs. in crore)

Sr. No	Description of Programme	Duration/Phasing Period	No. of Schemes Sanctioned	NABARD Loan Sanctioned	State Contribution	Total Amount Sanctioned
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
		GRAND TOTAL (I TO XVIII)	4798	3948.91	375.63	4324.54

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of ` 3948.91 crore, the State Government has received/availed an amount of ` 2714.96 crore upto 31.03.2013 from the NABARD. The tranche-wise details are as under :-

(` in Crore)

Name of Programme	NABARD's Loan Sanctioned	Tranches-wise Loans availed			Percentage of Loan availed
		1995-96 to 2011-12	2012-13 (upto 31-03-13)	Total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
RIDF-I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
RIDF-II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
RIDF-II	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
RIDF-IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
RIDF-V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
RIDF-VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
RIDF-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
RIDF-VIII	169.29	154.00	0.00	154.00	90.97
RIDF-IX	141.70	111.59	0.00	111.59	78.75
RIDF-X	91.64	78.82	0.00	78.82	86.01
RIDF-XI	224.67	209.75	0.71	210.46	93.68
RIDF-XII	272.30	227.06	25.40	252.46	92.72
RIDF-XIII	308.06	180.71	24.07	204.78	66.68
RIDF-XIV	424.82	268.21	53.75	321.96	75.79
RIDF-XV	454.13	213.69	79.08	292.77	64.47
RIDF-XVI	394.53	150.06	48.62	198.68	50.36
RIDF-XVII	423.69	114.67	29.25	143.92	33.97
RIDF-XVIII	432.16	0.00	139.12	139.12	32.19
Total :-	3948.91	2314.96	400.00	2714.96	68.75

* The disbursement figure exceeded from sanction due to the fact that advance earlier paid/released was not adjusted in future draws.

5. **Year-wise detail of Reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2012-13**

Year	Reimbursement Availed (Rs. in Crore)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
Total	2714.94

6. **Loan Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2012-13) :-
(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Year/Tranche	Loan Sanction Target	Achievements	% age
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (HPC Approved) 560.00 (NABARD)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (HPC Approved) 540.00 (NABARD)	423.69	105.92
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (HPC Approved) 500.00 (NABARD)	432.16	108.04

7. The Planning Department is the Nodal Department for selection, approval and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

8. Details of RIDF review meetings held during the year 2012-13:

Sr. No.	Name of the Meeting	Date and Place of meeting	Under the Chairmanship
1.	2.	3.	4.
1.	39 th HPC Meeting.	21.05.2012 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
2.	District Planning Officers meeting.	27.07.2012 (Shimla)	Adviser (Planning) HP, Shimla-2
3.	MLAs meetings	23 rd and 24 th January, 2013 (Shimla)	Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
4	40 th HPC meeting on RIDF.	02.02.2013 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.

In addition to above mentioned meetings, bi-monthly review meetings were held in the regional office of NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. The scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Besides these, review meetings are also held at District level by the Deputy Commissioners.

IX. NEW 20-POINT PROGRAMME-2006 DIVISION:

The Twenty Point Programme (TPP) was launched by the Government of India in 1975 and re-structured in 1982, 1986 and again in 2006. The restructured programme is called Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) and is being implementing in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The programme aims at eradicating poverty and improving the quality of life of rural and urban poor people. The Twenty Point Programme covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programme / schemes covered under TPP-2006 at National level on the basis of performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items. All the 65 items of TPP-2006 are not meant for reporting on a monthly basis. The items vary from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Each monitorable item is categorized in the category of “Very Good”, “Good” and “Poor” on the basis of monthly/yearly performance as follows:-

Sr. No.	Percentage achievement	Category
1.	2.	3.
1.	90% or more	Very Good
2.	80% to 90%	Good
3.	Below 80%	Poor

Planning Department in Government of Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of monthly / quarterly / half yearly / annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007.

Himachal Pradesh has had an excellent track record in respect of implementation of Twenty Point Programme. The year-wise position of the State in respect of implementation of TPP-2006 at National level remained as follows:-

Sr. No.	Year	Position / Grade of HP at National Level
1.	2.	3.
1.	2006-07	Ranked First
2.	2007-08	Graded at Second
3.	2008-09	Adjudged 3 rd
4.	2009-10	Rated on 1 st Position
5.	2010-11	Placed at the Top in the Very Good Category
6.	2011-12	Placed at the Top in the Very Good Category

In order to inculcate the spirit of competition among the districts for the effective implementation of TPP-2006, the State Government is ranking the performance of each district. Based on the ranking, an award of Rs. 50.00 lakh, Rs. 30.00 lakh and Rs. 20.00 lakh respectively for first, second and third ranked district(s) is being given as an incentive. The incentive money is used for the various developmental works.

Based on the performance during 2011-12, five districts, viz; Kangra, Una, Sirmaur, Mandi & Solan have jointly shared 1st rank in inter district ranking analysis of TPP. The award money of Rs. 1.00 crore was equally distributed among these districts.

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State, District and below district levels.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Minister/MLA of all the districts reviewed the progress of TPP in their quarterly review meetings. Besides, Deputy Commissioners / Additional Deputy Commissioners / Additional District Magistrates / District Planning Officers review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the concerned districts in the various meetings.

At the State level, the progress of TPP was reviewed in the quarterly review meetings held under the Chairmanship of Chief Secretary, HP. The detail of TPP review meetings held under the Chairmanship of Chief Secretary, HP during the year 2012-13 is as follows:-

Sr. No.	Quarter	Date of TPP review meeting
1.	2.	3.
1.	1 st Qtr. ended 30-06-2012	02-08-2012
2.	2 nd Qtr. ended 30-09-2012	05-12-2012
3.	3 rd Qtr. ended 31-12-2012	20-02-2013

In addition to above, the progress of TPP was also reviewed alongwith other plan programmes in the State Level Planning, Development and 20 Point Programme Review Committee held on 20-06-2012 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, HP.

Due to the vigorous monitoring at State and below State level, the targets for the year 2012-13 allocated by the Ministry of Statistics & Programme Implementation (TPP Division), GoI, vide letter No. 11/1/2012-13 TPP (Tar.) dated 25th July, 2012 and 6th November, 2012 were achieved.

The item-wise detail of targets and achievements for the year 2012-13 are as follows:-

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets	Cum. Ach. up to March, 2013 (2012-13)	% age	Category
1	2	3	4	5	6	7
01A	Employment generation under the NREG Act					
01A01	No. of job cards issued	Number	NT	1138549	-	-
01A02	Employment generated	Lac Mandays	NT	23937000	-	-
01A03	Wages given in cash	Rupees in lakh	NT	2983402000	-	-
01B	Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana					
01B01*	Individual Assisted Swarozgaries	Number	493	1366	277.07	V.Good
01B02	Individual Assisted. SC Swarozgaries	Number	NT	503	-	-
01B03	Individual Assisted. ST Swarozgaries	Number	N.T	195	-	-
01B04	Individual Assisted. Women Swarozgaries	Number	NT	435	-	-

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets	Cum. Ach. up to March, 2013 (2012-13)	% age	Category
1	2	3	4	5	6	7
01B05	Individual Disabled Swarozgaries Assisted	Number	NT	25	-	-
01E	Self Help Groups (SHG)					
01E01	Formed under SGSY	Number	NT	743	-	
01E02*	To whom income generating activities provided	Number	899	1159	128.92	V.Good
05A*	Food Security-Targeted Public Distribution System (TPDS)					
05A01	Allocation of Food Grains to States/UTs	Tonnes	NT	527940	-	-
05A02	Off take of States/UTs	Tonnes	NT	548767	103.94	V.Good
05B*	Food Security-Antodaya Anna Yojana(AAY)					
05B01	Allocation of Food Grains to States/UTs	Tonnes	NT	82740	-	-
05B02	Off take of States/UTs	Tonnes	NT	85916	103.84	V.Good
05D*	Food Security-Below Poverty Line (BPL)					
05D01	Allocation of Food Grains to States/UTs	Tonnes	NT	133140	-	-
05D02	Off take of States/UTs	Tonnes	NT	159707	119.95	V.Good
06A	Rural Housing –Indira Awaas Yojana					
06A01*	Houses constructed-IAY	Number	6271	6279	100.12	V.Good
06A02	Houses sanctioned-IAY	Number	NT	6468	-	-
06B	EWS/LIG Houses in Urban Areas					
06B01	Houses sanctioned	Number	375	384	102.40	V.Good
06B02	Houses constructed	Number	NT	-	-	-
07A	Rural Areas –National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)					
07A03*	Habitations covered (Partially covered & Slipped back)	Number	2530	2531	100.03	V.Good
08B	Sanitation Programme in Rural Areas					
08D01	Individual Household latrines constructed (since inception)	Number	NT	1030538	-	-
08E	Institutional Delivery					
08E01	Delivery in institutions	Number	NT	75117	-	-
10A*	SC Families Assisted					
10A01	SC Families Assisted	Number	29289	74707	225.53	V.Good
10C	ST Families Assisted					
10C01	ST Families Assisted	Number	NT	11062	-	-
12A	Universalization of ICDS Scheme					
12A01*	ICDS Blocks Operational (Cumulative)	Number	78	78	100.00	V.Good
12B	Functional Anganwadis					
12B01*	Anganwadis Functional (Cumulative)	Number	18783	18866	100.44	V.Good
14A	No. of Urban poor families assisted under Seven Point Charter viz. land tenure, housing at affordable cost, water, sanitation, health, education and social security.					
14A01	Poor Families Assisted	Number	563	563	100.00	V.Good
15A	Afforestation (Public and Forest Lands)					
15A01*	Area Covered under Plantation	Hectares	28900	28902	100.00	V.Good
15A02*	Seedlings planted	Number in lakh	187.85	187.87	100.01	V.Good
17A	Rural Roads –PMGSY					
17A01*	Length of Road Constructed	Kilometer	980	876	89.38	Good
18B	Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana					
18B01*	Villages electrified-RGGVY	Number	15	14+	93.33	V.Good

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets	Cum. Ach. up to March, 2013 (2012-13)	%age	Category
1	2	3	4	5	6	7
18C	Energising pump sets					
18D01*	Pumps sets energized	Number	1175	2197	186.97	V.Good
18E02 *	Supply of Electricity					
18D01	Electricity demanded	Million units	NT	8638.42	-	-
18D02	Electricity supplied	Million units	NT	8493.00	98.32	V.Good
18D03	Shortage observed	Million units	NT	(-)145.42	-	-

* : Items for Ranking Purpose.

NT=Non Targeted

+ : Note under item Code 18B01- villages electrified, out of 15 villages, 1 no. village Rasang has no habitation. Therefore, the total villages to be electrified are 14 in 2012-13 and the same stand electrified.

As Per Govt. of India Norms
Very Good (90% and above)
Good (80% to 90%)
Poor (Below 80%)

X. RAILWAY DIVISION:

The history of Railways in Himachal Pradesh goes back to the last decade of nineteenth century, when a survey of the train in 1895 for 96 kilometers long Kalka-Shimla narrow gauge rail track paved way for signing the construction contract on June 29, 1898. The work on the Kalka-Shimla route was completed on November 2, 1903 yet it was opened for the general public only on January 1, 1906.

Another Pathankot-Joginder Nagar narrow gauge rail track has a length of about 113 kilometers. The work on this line started in 1926. Three years later, 163 km. long route was opened to traffic. After independence only 44 Km. rail line was added in the State under Nangal-Talwara Broad Gauge Rail Line. At present, many on-going and pipeline railway projects in HP are being pursued with the Government of India. Railway Division of this Department has taken the following actions during the year 2012-13 for the expansion of rail network in HP:

1. Nangal-Talwara BG Rail line:

(a) This project was sanctioned by the Railway in the year 1980-81 and targeted commissioning of this rail line is December 2013. In Himachal Pradesh, length of Nangal Talwara rail line is 62 Kms. Rail line from Chururu-Takarla to Amb-Andaura section has already been opened for the rail traffic.

(b) During the year 2012-13, the issue of enhancement of budget provision for Daulatpur Chowk-Mandwara section of this rail line was taken up with GoI.

(c) To restore the reduction made in the Railway Budget, a resolution under Rule 101 was passed in the winter session of H.P Vidhan Sabha on 22nd December 2011, and this resolution has been sent to the Charirman, Railway Board, New Delhi in April, 2012.

2. Bhanupalli- Bilaspur- Beri BG Rail Line:

(a) This project was sanctioned in the Railway budget in 2008-09. The length of Bhanupalli- Bilaspur –Beri BG rail line is 63 Kms. 25 villages falls (Bhanupalli to Dharot) in the first 20 Kms of this rail line, out of which 14 villages in Punjab and 11 villages in Bilaspur Himachal Pradesh.

(b) The GoI has been requested to review the decision of CCEA in the line with the position agreed in the PMO's meeting held on 8th August, 2007 and also to expedite the Geological and Geo-Technical investigation survey of this rail line so that the land acquisition proceedings of this project could be completed well in time.

3. Bilaspur- Leh via Mandi-Manali Leh-Ladakh Rail Line:

(a) Due to strategic importance of the rail line for ferrying of defence equipments to the border areas and to boost the regional economy, State Government has taken up the matter with Planning Commission and Ministry of Railways for the extension of this Rail line Upto Leh –Ladakh.

(b) As per the survey report of Railway Ministry, the construction cost of this 498 Km long line has been assessed as Rs.22831 crore.

(c) Government of India has been requested to declare this project of strategic importance as "National Project".

4. Conversion of Pathankot- Joginder nagar Narrow Gauge rail line into Broad Gauge rail line& its extension upto Leh- Ladakh via Mandi:

(a) The State Government has taken up this matter with the Ministry of Railways and has also requested to extend it via Mandi –Manali-upto Leh-Ladakh because of its great strategic importance for the country and for ensuring uninterrupted and timely supply of ration and machinery to armed forces deployed in Leh- Ladakh region near the Indo China border.

(b) The survey works of this lines has been completed and as per the survey report the cost of construction of this 181 Km long line has been assessed as Rs 3280 crore (with electric traction) Rs 2888 crore (with diesel traction).

(c) Now Railway Board has requested the State Government to bear the 33% of construction cost and providing land free of cost for the conversion of this line. The State Government has requested the Railways Authorities that due to limited resources available, the State Govt. is unable to bear the 33% cost.

5. Baddi- Kalka rail Line:

(a) Keeping in view the already established/ upcoming industries, education hub and commercial complexes in Baddi-Barotiwala –Nalagarh area, the State Government has taken up this issue with the Ministry of Railways to complete the survey work in a time bound manner.

(b) Railway has informed that survey of this line has been completed and submitted to Railway Board on 11-4-2011 for consideration. As per this survey, the Project cost has been assessed as Rs 385 crore and State Government has also requested to provide the adequate budget for this line.

6. Ghanauli–Dehradun via Nalagarh-Jagadhari- Surajpur-Kala Amb-Paonta Sahib Rail Line: Ministry of Railways had included this new rail line project under “New Rail Line Survey in the Railway budget 2010-11. The required basic data for the survey work as requested by the Chief Commercial Manager (TS), Northern Railway has been provided by the state Government.

7. Chandigarh-Baddi new rail line project: The work of Chandigarh-Baddi BG rail link was sanctioned in the year 2007-08 and its cost was estimated at Rs. 699.00 Crore and the detailed estimate was submitted to Railway Board for sanction. Later, it was requested that the possibility of an alternate proposal to connect Baddi may be sought as the land acquisition for Chandigarh-Baddi rail link was not feasible. However, during the year 2013-14, a provision of Rs. 1.00 Lakh has been made for the ibid rail project.

8. In the Railway Budget 2013-14, the following new railway projects have been identified and proposed for survey in Himachal Pradesh:

- i) Amb-Kangra via Nadaun
- ii) Baddi and Bilaspur
- iii) Dharamshala-Palampur

The State Government has made a provision of ` 50.00 Lakh for the construction of new rail lines in the State during the financial year 2013-14.

XI. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation Division of Planning Department is entrusted with the evaluation work of different plan schemes and projects. The objectives of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these findings, suggest remedial measures to make implementation process more effective. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

At present, the Evaluation Division is engaged in conducting the following evaluation studies which are in different stages of completion as given below :

1. Study on Sectoral Decentralised Planning Programme :

This study was started in the year 2004 and the schedules were sent to the District Planning Offices for collecting information from the field. The filled up schedules received back were full of discrepancies and inconsistencies, which came into light after careful scrutiny of these schedules. These discrepancies and inconsistencies were addressed to by sending these schedules back to field offices and the whole exercise was coordinated from the Headquarters of Planning Department. After receiving complete information, the data was compiled, analysed and the report is under preparation.

2. Evaluation Study on Watershed Development Programme:

The study was started in the year 2005-06. The filled up schedules received in the Planning Department were incomplete in many respects. Also, the schedules designed earlier could not cover some of the aspects of Watershed Development Programme being implemented by different departments. In view of this, a decision was taken in the meeting of the Technical Advisory Committee held on 12th December, 2011 to re-design and re-conduct the study in collaboration with the Department of Rural Development. Research design and schedules for conducting the study were finalized in consultation with the Department of Rural Development.

3. Evaluation Study on Computerisation of Accounting System of Temple Trusts in Himachal:

The study was initiated in the year 2009-10. This study is aimed at making an assessment of the functioning of computerized management of accounting system in these temple trusts where the department of Information & Technology has supplied Hardware and Software. The report is under preparation.

4. Survey of Registrants in the Regional Employment Exchanges:

The survey of registrants was done in Regional Employment Exchange Shimla only. The report was completed and put up for approval of the Government. The Government decided to expand the scope of the study by surveying registrants of Employment Exchanges of Kangra, Mandi and Solan districts also. The registrants were sent questionnaires through mail. By the end of February, 2012 a total number of 938 questionnaires had been received. Since the scope of the study has been enlarged to entire State, the same has been assigned to Economics & Statistics department.

5. Evaluation Study of Rashtriya Sam Vikas Yojana:

The Ministry of Panchayati Raj, Government of India has decided that the State Planning Department will conduct the Evaluation Study of Rashtriya Sam Vikas Yojana implemented in Sirmour and Chamba districts of Himachal Pradesh. Considering limited resources at the disposal of Evaluation Division; it was decided by the Government to outsource the study. Accordingly, bids have been invited for conducting the study. The Evaluation Study will look into the issues related to effectiveness of the programme in meeting its objectives. Accordingly, bids were invited and have been received from NABCONS, CSK HP Krishi Vishvavidyalaya Palampur, Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni. The same are under consideration.

XII. MLA PRIORITY DIVISION:

The following tasks were assigned and performed by the MLA Priority Division during the financial year 2012-13:-

1. The preparation of follow up action report on the decisions taken in the previous year MLAs meetings. The previous year MLAs meetings were held on 13th and 14th February, 2012 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, HP. The action taken report from the concerned implementing departments were obtained, consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.
2. To convene the MLAs meetings under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, HP to determine the priorities for the Annual Plan 2013-14. These meetings were convened on 23rd and 24th January, 2013. The issues raised in these meetings by the Hon'ble MLAs and instructions issued by Hon'ble Chief Minister were consolidated and issued to all concerned in the form of 'minutes of the meetings' for taking appropriate necessary follow up actions.
3. As per the approved policy of the State Government, Hon'ble MLAs prioritize two schemes each under three sectors i.e. **Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply** for "**Really New Schemes (RNS)**" and "**Ongoing Schemes**". Therefore, six schemes under RNS and six under Ongoing Schemes are prioritized by the Hon'ble MLAs for each financial year. However, Hon'ble MLAs are at liberty to change inter sectoral priorities with in the above mentioned three sectors i.e. he may give six priorities in one or two or three sectors. Accordingly, the MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as "**नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2013-14**". It is one of the State Annual Budget Documents 2013-14.
4. Generally, the MLAs priorities are funded through raising the loan under RIDF from NABARD. Interest is paid by the State Government on the loan assistance availed from the NABARD. In addition to it, the GoI has fixed a maximum limit to avail the loan. Therefore, State Government has taken the decision to avail maximum assistance under grant based programmes of GoI i.e. PMGSY, CRF, AIBP, NRDWP, etc. The MLA priority schemes will only be posed to NABARD funding in case these schemes are not funded through GoI grant based schemes. This decision of the State Government has been conveyed to all concerned. The actual implementation of this decision is being taken care of by RIDF Division of the Department.
5. The works related to MLAs priority is of a vibrant/dynamic nature. Through-out the year the proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs. The actions on the substitution proposals were taken as per the approved policy of the State Government. The implementing departments were asked to take the follow-up action accordingly. The concerned Hon'ble MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

XIII. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerisation Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All the reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

1. Modifications/Updation of GN Software for 2013-14 and 12th Five Year Plan (2012-17).
2. Development of Plan Budget Monitoring Software.
3. Modifications/Updation of RIDF Software.
4. Modifications/Updation of MLA Priority Schemes Software.
5. Development of Evaluation Study Software for generating frequency tables.
6. Document of Annual Plan 2013-14.
7. Package on Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
8. MLA Priority Schemes Data Entry.
9. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
10. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
11. Income Tax Statements Software.
12. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year 2013-2014.
13. Fact Book on Manpower Publications.
14. Power Point Presentation on various meetings in the department.
15. Twenty Point Programme Quarterly Document.
16. Development of Department Web site and site maintenance/updation.
17. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
18. Results Framework Document Monitoring.
19. e-Despatch Monitoring.
20. eVitran – Himkosh working
21. MIS ACA/SPA on Central Assistance (Planning Commission).
22. MPLADs Software Monitoring.
23. Decentralized MIS Software Monitoring.

3.3. DISTRICT OFFICES :

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells :-

1. District Planning Officer.
2. Credit Planning Officer.
3. Assistant Research Officer.
4. Statistical Assistant.
5. Sr. Assistant (three posts each in District Shimla, Mandi and Kangra).
6. Steno-Typist.
7. Clerk.
8. Peon.

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

(i)	Particulars of organization, functions and duties.	Please see heading “1.BACKGROUND AND INTRODUCTION” and 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE” of the report
(ii)	Powers and duties of its Officers and Employees.	<p><u>Adviser (Planning):</u> Overall administrative and financial control of the Department. He helps Principal Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Principal Secretary (Planning) to the GoHP.</p> <p><u>Joint Director (Planning):</u> He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in discharging various responsibilities and accomplished tasks related to formulation, implementation and liaisoing with the Planning Commission, Government of India assigned to him from time to time.</p> <p><u>Deputy Directors:</u> The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.</p> <p><u>Research Officers:</u> The Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.</p> <p><u>District Planning Officers:</u> The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading “3.3. DISTRICT OFFICES”.</p> <p><u>Assistant Research Officers:</u> Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.</p> <p><u>Statistical Assistants:</u> Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.</p> <p><u>Computer:</u> They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers.</p>

	<p><u>Program Planning Officer (PPO):</u> The PPO is the in-charge of the Computer Cell. He helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.</p> <p><u>Computer Operators :</u> They assist the PPO in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.</p> <p><u>Superintendent Gr.-I:</u> The post of Superintendent Grade-I has been created in the Administration Division of this department for efficient implementation of Administrative works of this division.</p> <p><u>Superintendent Gr.-II:</u> All the Senior / Junior Assistants and clerks of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO / Joint Director (Administration) for final decision at appropriate level.</p> <p><u>Senior Assistants / Junior Assistants:</u> Deals with administrative, personnel, budget, organizational, etc matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers.</p> <p><u>Clerks :</u> Perform duties and functions as assigned to them by DDO / Spud. Gr.-II including the work of diary despatch of the Department.</p> <p><u>Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers:</u> Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors, such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.</p> <p><u>Steno Typists:</u> Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.</p> <p><u>Duplicating Machine Operator:</u> To operate the Photostate machines of the Department.</p> <p><u>Peons:</u> They perform the duties as per office manual.</p> <p><u>Chowkidar :</u> Keeps watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.</p> <p><u>Sweeper:</u> To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.</p>
--	--

(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.	Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department. The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division. (s)
(iv)	Norms set by it for the discharge of its functions.	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.
(v)	Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:- CCS Leave Rules, 1972. CCS and CCA Rules HPFR Rules FR & SR Rules Medical Attendance Rules House Building Advance Rules L.T.C. Rules Budget Manual Office Manual Pension Rules GPF Rules Guidelines for implementation of the following programmes:- Sectoral Decentralized Planning (SDP) Vikas Mein Jan Sahyog Program (VMJS) Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Youna (VKVNY) Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs) Backward Area Sub Plan (BASP) Border Area Development Programme Plan (BARDP) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) Externally Aided Projects (EAPs) District Innovative Fund (DIF) Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.

(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report.
(vii)	The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.	The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees at Sub Divisional level. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.
(viii)	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	<p>The following Boards / Committees have been constituted in the department:-</p> <p>Himachal Pradesh State Planning Board.</p> <p>State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee.</p> <p>District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts.</p> <p>Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review & Public Grievance Committees.</p> <p>Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.</p>
(ix)	A directory of its officers and employees;	Detail given under heading “2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT” .
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time. Pay Band & Grade Pay of the posts are given under heading “2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT” .

(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions.
(xii)	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There is no subsidy programme being executed directly by the department.
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable. Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website http://hp_planning.nic.in .
(xv)	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays.
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	Information is given below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

Sl. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	2.	3.	4.	5.
(A) SECRETARIAT LEVEL				
1.	Sh. Uttam Singh, Public Information Officer.	Under Secretary (Plg.) to the Govt. H.P	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2628504	Planning Department at Secretariat level.
2.	Dr. Shri Kant Baldi Appellate Authority	Pr.Secretary (Planning) to the Govt. H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel. No. 2620043	Planning Department at Secretariat level.
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 27-06-2009 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005).				
(B) STATE LEVEL				
1.	Sh. Basu Sood, Public Information Officer.	Joint Director (Administration)	Armsdale Building, Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2625856	Planning Department at State level.
2.	Sh. Tara Chand Chauhan ,Assistant Public Information Officer	Research Officer (DDO)	Armsdale Building, Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2620563	Planning Department at State level.
3.	Sh. Maneesh Garg, Appellate Authority	Adviser (Planning)	Armsdale Building, Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2621698	Planning Department at State level.
Notification No. PLG.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 and dated 16-04-2010 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005" .				

Sr. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	2.	3.	4.	5.
(C) DISTRICT LEVEL				
1.	Sh. R.C. Negi, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Shimla Telephone No. 0177-2808399	Concerned District.
2.	Sh. Suresh Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Solan Telephone No. 01792- 220697	Concerned District.
3.	Sh. Anuj Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Siamrur at Nahan Telephone No. 01702-223008	Concerned District.
4.	Sh. J.K. Kathait Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Una. Telephone No. 01975-226057	Concerned District.
5.	Sh. Gautam Chand, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.
6.	Sh. Tej Singh Thakur Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Mandi Telephone No. 01905-225212	Concerned District.
7.	Public Information Officer, vacant / Sh. Jawaher Lal Verma, Assistant Public Information Officer	Assistant Research Officer	District Planning Cell, DC Office Chamba Telephone No. 01899-226166	Concerned District.
8.	Sh. D.S. Verma, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.
9.	Sh. Hira Singh Chauhan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kullu Telephone No. 01902-222873	Concerned District.
10	Sh. Ravinder Kumar , Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".				